षोडश बिहार विधान–सभा के द्वितीय सत्र के अनागत तारांकित प्रश्नोत्तरों की कुल संख्या 147 (एक सौ सैंतालिस) ।

क्रमांक	माननीय सदस्यों के नाम	सांकेतिक चिन्ह	पृष्ठ
1.	श्रीमती एज्या यादव	लघु–32, ग्राम्य–192, ग्राम्य–193	1–2
2.	श्री अरूण कुमार सिन्हा	ज–4	2
3.	श्री अरूण कुमार	ग्राम्य–272, क–12, क–15, च–5	2–4
4.	श्री अमित कुमार	पथ–35	4
5.	श्री अमरनाथ गामी	ग्राम्य–177, ग्राम्य–221	4–5
6.	श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय "पप्पु"	ग्राम्य–287	5–6
7.	श्री आनंद शंकर सिंह	ग्राम्य–245, ग्राम्य–246, ग्राम्य–279	6–7
8.	श्री अचमित ऋषिदेव	ग्राम्य–60, ग्राम्य–61, ग्राम्य–100, ग्राम्य–101, ग्राम्य–129, ग्राम्य–130	7–9
9.	श्री अशोक कुमार	ग्राम्य–188, ग्राम्य–209, ग्राम्य–210, ग्राम्य–211	9–10
10.	श्री (मो0) आफाक आलम	ग्राम्य–25, ग्राम्य–33, ग्राम्य–35, ग्राम्य–47, ग्राम्य–118	11–12
11.	श्री अशोक कुमार सिंह (224)	ग्राम्य–217, ग्राम्य–218, 219	12–14
12.	श्री अजीत शर्मा	सामु–17, पथ–122	14–15
13.	श्री अशोक कुमार	पथ–96	15
14.	श्री अशोक कुमार सिंह	ग्राम्य–102	15–16
15.	श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन	पथ–25, ग्राम्य–71, ग्राम्य–72	16–17
16.	श्री अनिल कुमार यादव	सामु–10	17–18
17.	श्रीमती बेबी कुमारी	ग्राम्य–313, ग्राम्य–361	18–19
18.	श्री बशिष्ठ सिंह	ग्राम्य–64, ग्राम्य–135, ग्राम्य–182	19–20

क्रमांक	माननीय सदस्यों के नाम	सांकेतिक चिन्ह	पृष्ठ
19.	श्री चन्दन कुमार	सामु–20, पथ–82, पथ–83, पथ–95	21–22
20.	श्री चन्द्रसेन प्रसाद	पथ–125	22
21.	श्री दिनेश चन्द्र यादव	ग्राम्य–43, ग्राम्य–53, पथ–31	22–23
22.	श्री दिनकर राम	ग्राम्य–9, ग्राम्य–15, ग्राम्य–329	24–25
23.	श्री फैयाज अहमद	ग्राम्य–238, ग्राम्य–355, पथ–85	25–26
24.	श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह	ग्राम्य–110, ग्राम्य–112, ग्राम्य–113	27–28
25.	श्री गुलाब यादव	पथ–103	28
26.	श्री गिरधारी यादव	पथ–124	28–29
27.	श्रीमती गायत्री देवी	सामु–9, ग्राम्य–128, ग्राम्य–45, ग्राम्य–295	29–31
28.	श्रीमती गुलजार देवी	ग्राम्य–127	31
29.	श्री हरिनारायण यादव	ग्राम्य–28, ग्राम्य–29, पथ–41	31–32
30.	श्री जयवर्धन यादव	सामु–16, ग्राम्य–235, ग्राम्य–356	33–34
31.	डॉ0 (मो0) जावेद	त–1	34–35
32.	श्री जनार्दन मांझी	ग्राम्य–46	35
33.	श्री जितेन्द्र कुमार	ग्राम्य–158, ग्राम्य–283, पथ–97	35–36
34.	श्रीमती कुन्ती देवी	गृह–171, ग्राम्य–268	36–37
35.	श्री कुमार सर्वजीत	ग्राम्य–111, ग्राम्य–114, पथ–21, पथ–2^ पथ–32, पथ–33	38–40
36.	श्री कृष्ण कुमार ऋषि	ग्राम्य–30, ग्राम्य–213	40
37.	श्री केदारनाथ सिंह	ग्राम्य–159, ग्राम्य–244, पथ–112	41
38.	श्री लक्ष्मेश्वर राय	ग्राम्य–220	42
39.	श्री ललित कुमार यादव	ग्राम्य–338, पथ–110	42–43
40.	श्रीमती लेशी सिंह	पथ–16, पथ–17, पथ–18, ग्राम्य–57	43–44
41.	श्री ललन पासवान	पथ–91, ग्राम्य–183	45
42.	श्री लालबाबू राम	ग्राम्य–304	46
43.	श्री मुजाहिद आलम	ग्राम्य–131, ग्राम्य–132, ग्राम्य–195, पथ–71	46–47
44.	श्री महबूब आलम	क–13, क–18	47–48
45.	श्री मुन्द्रिका सिंह यादव	पथ–57, ग्राम्य–203, ग्राम्य–205	48–50
46.	श्री महेश्वर प्रसाद यादव	पथ–77, पथ–78, ग्राम्य–122	50–52
47.	श्री मिथिलेश तिवारी	ग्राम्य–109	52
48.	श्री मेवालाल चौधरी	ग्राम्य–36, ग्राम्य–37, ग्राम्य–38, ग्राम्य–39	52–54
49.	श्री मुद्रिंका प्रसाद राय	पथ–106, ग्राम्य–194	54–55
50.	श्री मनोहर प्रसाद सिंह	ग्राम्य–243, ग्राम्य–248	55

क्रमांक	माननीय सदस्यों के नाम	सांकेतिक चिन्ह्	पृष्ठ
51.	श्री (मो0) नवाज आलम	क–11, पथ–107, ग्राम्य–103	55–57
52.	श्री नौशाद आलम	ग्राम्य–317, पथ–64, पथ–119	57–58
53.	श्री नारायण प्रसाद	सामु–2	58–59
54.	श्री नन्द कुमार राय	ग्राम्य–17, ग्राम्य–18, ग्राम्य–19, ग्राम्य–21	59–60
55.	मो0 नेमातुल्लाह	ग्राम्य–75	61
56.	श्री प्रमोद कुमार	ग्राम्य–121	61–62
57.	श्रीमती प्रेमा चौधरी	ग्राम्य–307, ग्राम्य–308	62
58.	श्री प्रह्लाद यादव	सामु–3, पथ–27, पथ–65	62–63
59.	श्री प्रभुनाथ प्रसाद	ग्राम्य–134, ग्राम्य–136, पथ–29, पथ–30	64–65

नलकूप चालू करना

लघु–32. श्रीमती एज्या यादव––क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत पटोरी प्रखंड के रूपौली एवं इमनसराय के पंचायत के सभी राजकीय नलकूप विगत 20 वर्षों से बंद रहने के कारण किसानों को पटवन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त बंद राजकीय नलकूप को चालू करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री––स्वीकारात्मक। समस्तीपुर जिला के पटोरी प्रखंड अन्तर्गत इमनसराय पंचायत में दो राजकीय नलकूप हथरूआ एवं प्यारेपुर है तथा रूपौली पंचायत में एक राजकीय नलकूप रामगामा है।

प्यारेपुर और रामगामा नलकूप संयुक्त दोष के कारण बन्द है। हथरूआ राजकीय नलकूप ईंट–पत्थर से भरे होने के कारण बन्द है।

नबार्ड फेज–8 के अन्तर्गत दो नलकूप रूपौली–1 एवं रूपौली–2 है, जिसका जीर्णोद्धार कार्य प्रगति पर है।

बन्द राजकीय नलकूप का सर्वेक्षण उपरान्त संभाव्य होने पर सतत् प्रक्रिया के तहत बजट उपलब्धता के आधार पर विभाग द्वारा कार्य कराया जा रहा है।

सम्पर्क सड़क का निर्माण

ग्राम्य–192. श्रीमती एज्या यादव––क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि––

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत मोहिउद्दीनगर प्रखंड के तेतारपुर पंचायत के मड़वा घाट पर वर्ष 2015 में पुल बनकर तैयार हो गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त पुल में सम्पर्क सड़क का निर्माण अबतक क्यों नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त पुल में सम्पर्क सड़क का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री––(1) स्वीकारात्मक है।

(2) स्वीकारात्मक है।

(3) वस्तुस्थिति यह है कि सम्पर्क पथ का निर्माण कार्य प्रगति पर है। 31 मार्च, 2016 तक कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा।

सड़क का निर्माण

ग्राम्य–193. श्रीमती एज्या यादव––क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि––

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत पटोरी प्रखंड के बहादुरपुर पंचायत के अरविन्द चौक से लुगुनिया भोला बाबा के मंदिर तक सड़क निर्माण कार्य नवम्बर, 2013 में ईंटा का सोलिंग हटाकर गिट्टी भराई कार्य कर छोड़ दिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त सड़क का निर्माण कार्य नहीं होने से आवागमन में कठिनाई हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार संवेदक पर कार्रवाई करते हुये उक्त सड़क का निर्माण कार्य पूरा कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री.—(1) आंशिक स्वीकारात्मक है।

(2) आंशिक स्वीकारात्मक है।

(3) वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से पटोरी, मदुदाबाद पी0डब्लू0डी0 रोड से इस्माईलपुर के नाम से कराया जा रहा है। वर्तमान में इस पथ पर कालीकरण का कार्य चल रहा है तथा 30 मार्च, 2016 तक कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा।

नाला का पक्कीकरण

ज-4. श्री अरूण कुमार सिन्हा—क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि पटना के मीठापुर से न्यू बाइपास के उत्तर एवं समानान्तर पहाड़ी तक जाने वाले कच्चे नाला को गहरा करते हुये पक्कीकरण करने के लिये 40.52 करोड़ के राशि की स्वीकृति चार वर्ष पूर्व दी गयी थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि आजतक खंड (1) में वर्णित योजना की शुरूआत नहीं की जा सकी है, जिसके कारण बरसात में दक्षिणी पटना में जल–जमाव का खतरा बना हुआ है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड (1) में वर्णित नाला के पक्कीकरण का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1), (2) एवं (3) वस्तुस्थिति यह है कि एन0एच0 30 में मीठापुर बस स्टैन्ड से भूतनाथ मोड़ तक एन0एच0 30 के समानान्तर सड़क के उत्तर तरफ में लगभग 4 कि0मी0 लम्बाई में नाले के निर्माण हेतु जनवरी, 2014 में लगभग 40 करोड़ 53 लाख रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति पथ निर्माण विभाग द्वारा प्रदान की गई है। इसका कार्यान्वयन NHAI के द्वारा कराया जाना है।

NHAI द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त नाला निर्माण का कार्य प्रगति पर है एवं दिसम्बर, 2016 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

पुल का निर्माण

ग्राम्य–272. श्री अरूण कुमार—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहरसा जिला के सौरबाजार एवं बख्तियारपुर प्रखंड को जोड़नेवाली इनरवा से तरियामा पथ के बीच इनरवा से दक्षिण तिलावे नदी पर पुल नहीं रहने के कारण आवागमन बाधित है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर कबतक पुल निर्माण कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पुल के एक तरफ के बसावट इनरवा को मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजनान्तर्गत स्वीकृत इनरवा हाट प्रधानमंत्री पथ से इनरवा पानी टंकी तक पथ जो निविदा की प्रक्रिया में है, से सम्पर्कता प्राप्त हो रही है। उक्त पुल के दूसरे तरफ के बसावट तरियामा को निर्मित पथ पहाड़पुर से तरियामा से सम्पर्कता प्राप्त है। प्रश्नाधीन पुल के अप स्ट्रीम एवं डाउन स्ट्रीम में 4 कि0मी0 एवं 3 कि0मी0 पर पुल निर्मित है। उक्त कारणों से प्रश्नाधीन पुल के निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

आई० टी० आई० कॉलेज खोलना

क–12. श्री अरूण कुमार––क्या मंत्री, श्रम संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहरसा जिला अन्तर्गत सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल में आई० टी० आई० कॉलेज नहीं रहने के कारण कौशल विकास में बाधा उत्पन्न हो रही है, यदि हाँ, तो क्या सरकार सिमरी बख्तियारपुर में आई० टी० आई० कॉलेज खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री––आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि सरकार के सात निश्चय के तहत् वित्तीय वर्ष 2016–17 से चरणबद्ध तरीके से भूमि की उपलब्धता के आधार पर अनाच्छादित 54 अनुमंडलो में नये औ० प्र० संस्थानों की स्थापना हेतु दिनांक 16 फरवरी, 2016 के मंत्रिपरिषद् की बैठक में स्वीकृति दी जा चुकी है, जिसमें सहरसा जिलान्तर्गत सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल भी सम्मिलित है। जमीन उपलब्ध कराने हेतु जिला पदाधिकारी, सहरसा से पत्राचार की गई है। वर्तमान में सहरसा जिलान्तर्गत दो औ० प्र० संस्थान यथा औ० प्र० संस्थान, सहरसा एवं महिला औ० प्र० संस्थान, सहरसा संचालित है जिसमें सहरसा जिलान्तर्गत पड़ने वाले सभी अनुमंडलों यथा सिमरी बख्तियारपुर एवं सभी प्रखंडो के सुयोग्य युवक/युवती प्रशिक्षण प्राप्त करने के पात्र हैं।

भवन निर्माण

क–15. श्री अरूण कुमार––क्या मंत्री, श्रम संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहरसा जिला में आई० टी० आई०, सहरसा को खुले हुये सात वर्षों से अधिक हो गया है लेकिन अभीतक उसे अपना भवन नहीं है, यदि हाँ, तो क्या सरकार आई० टी० आई०, सहरसा हेतु भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री––स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि औ० प्र० संस्थान, सहरसा के भवन हेतु केन्द्रीय पुनी संयंत्र, गोबरगढ़ा (खादी ग्रामोद्योग संघ, सहरसा) के भूमि/भवन के क्रय हेतु निदेशालय पत्रांक 2949, दिनांक 26 नवम्बर, 2012 एवं पत्रांक 2967, दिनांक 28 नवम्बर, 2012 के द्वारा कुल राशि 3,26,96,280 (तीन करोड़ छब्बीस लाख छियानवे हजार दो सौ अस्सी) रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी परन्तु खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के पत्रांक 3138, दिनांक 28 नवम्बर, 2012 के द्वारा भवन/भूमि देने से इनकार कर दिया गया।

पुनः इसके भवन हेतु जिला पदाधिकारी, सहरसा से भूमि (सतत् लीज पर) उपलब्ध कराने हेतु निदेशालय पत्रांक 2126, दिनांक 3 नवम्बर, 2015, पत्रांक 71, दिनांक 11 जनवरी, 2016 एवं पत्रांक 883, दिनांक 16 मार्च, 2016 द्वारा पत्राचार किया गया है। भूमि उपलब्ध होने के उपरान्त भवन निर्माण हेतु यथाशीघ्र प्रशासनिक स्वीकृति निर्गत कर दी जायेगी।

ब्रिक्स के तहत चयन

च–5. श्री अरूण कुमार––क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि––

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला को विश्व बैंक सम्पोषित जिला के रूप में चयन की संभावना देखते हुये भोजपुर जिले की विकास योजनाओं का चयन कर सरकार को भेजा गया, परन्तु भोजपुर जिला का चयन विश्व बैंक सम्पोषित जिलान्तर्गत नहीं हो सका ;

(2) क्या यह बात सही है कि विश्व बैंक सम्पोषित कार्यक्रम के तहत योजनाएँ भेज दिये जाने के कारण भोजपुर जिला का चयन ब्रिक्स के तहत भी नहीं हो पाया है जिसके कारण विकास कार्य बंद है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार भोजपुर जिला का ब्रिक्स के तहत चयन करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री––(1) स्वीकारात्मक है।

(2) अस्वीकारात्मक है।

(3) वस्तुस्थिति यह है कि भोजपुर जिला का चयन ब्रिक्स के अन्तर्गत किया जा चुका है। ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा भोजपुर जिले में ब्रिक्स के अन्तर्गत अर्हता रखने वाले पथों का सर्वेक्षण कार्य माहामाया कन्सलटेन्ट के माध्यम से करा लिया गया है। डी0पी0आर0 तैयार किया जा रहा है।

पथ का जीर्णोद्धार

पथ 35. श्री अमित कुमार––क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत ग्राम–ससौला से सिंहोखा पथ जर्जर है जबकि उक्त पथ सीतामढ़ी एवं शिवहर जिलों को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण पथ है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पथ को चालू वित्तीय वर्ष में जीर्णोद्धार करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री––वस्तुस्थिति यह है कि ससौला से सुबौल–सुब्बा होते हुये सुनौल–खान तक लम्बाई 4.058 कि0मी0 में पथ का निर्माण पी0एम0जी0एस0वाई0 अन्तर्गत किया जा रहा है। शेष भाग सुपौल खान से ननकार–मलाही टोला पी0एम0जी0एस0वाई0 पथ तक सुप्पी प्रखंड में आता है, जिसकी लम्बाई 1.0 कि0मी0 है जिसके 100 मीटर की लम्बाई में पी0सी0सी0 सड़क पंचायत द्वारा बनाया गया है। यह पथ CNCPL (Comprehensive New Connectivity Priority List) की सूची में नहीं है। शेष भाग मलाही टोला पी0एम0जी0एस0वाई0 से आगे का पथांश राज्य कोर नेटवर्क में सम्मिलित नहीं है। अतः इसका निर्माण विचाराधीन नहीं है।

पुल का निर्माण

ग्राम्य–177. श्री अमर नाथ गामी––क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिलान्तर्गत पी0डब्लू0डी0 पथ से गोबराही पथ में पी0एम0जी0एस0वाई0 योजना के तहत पुल निर्माण दो वर्ष पूर्व से स्वीकृत है किन्तु पुल का निर्माण नहीं होने से ग्रामीणों को सम्पर्क पथों का लाभ नहीं मिल रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर पुल का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—वस्तुस्थिति यह है कि पी0डब्लू0डी0 पथ से गोबराही पथ का पी0एम0जी0एस0वाई0 से निर्माण कार्य कराया गया है। पुल का प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृति हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को समर्पित किया जा रहा है। भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर निर्माण कार्य कराया जायेगा।

पुल की मरम्मती

ग्राम्य–221. श्री अमर नाथ गामी—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिलान्तर्गत सुरहा–हथौड़ी पथ विगत दो वर्षों से जर्जर है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त पथ में एक पाइल पुल है जिसके क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण आवागमन बाधित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जर्जर पथ का पुनर्निर्माण कराते हुये क्षतिग्रस्त पुल की मरम्मती कराकर आवागमन बहाल कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक है।

(2) स्वीकारात्मक है।

(3) वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ की लम्बाई 8.4 कि0मी0 है। इस पथ के चौथे कि0मी0 में स्क्रू पाइल पुल है जिसके क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण आवागमन बाधित है।

पथ राज्य अनुरक्षण नीति के तहत श्रेणी–1 में सम्मिलित है।

निधि की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर पथ एवं पुल का मरम्मती कार्य कराया जा सकेगा।

पथ का पक्कीकरण

ग्राम्य–287. श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय "पप्पु"—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिला के पंचदेवरी प्रखंडान्तर्गत भगवानपुर पंचायत के ग्राम–बगहवॉं नगर से ग्राम–कुबेरही सड़क तक जाने वाली पथ विगत 3–4 वर्षों से जर्जरावस्था में है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पथ का जीर्णेद्धार कराकर पक्कीकरण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—वस्तुस्थिति यह है कि गोपालगंज जिला के पंचदेवरी प्रखंड अन्तर्गत भगवानपुर पंचायत के ग्राम–बगहवॉं नगर से ग्राम–कुबेरही तक पथ की लम्बाई 900 मीटर है जो आंशिक ईंटीकृत है। इन दोनों गाँवों के बीच कोई बसावट नहीं है। ग्राम–बगहवॉं नगर एम0एम0जी0एस0वाई0 अन्तर्गत निर्माणाधीन पथ "आर0सी0डी0 पथ से पटोहवॉं" पर अवस्थित है तथा इस पथ का ग्रेड–III तक कार्य

किया जा चुका है। कुबेरही ग्राम को एम0एम0जी0एस0वाई0 अन्तर्गत निर्मित पथ जमुनहा कोईसा–खुर्द पथ से सम्पर्कता प्राप्त है। प्रश्नाधीन पथ पर अवस्थित दोनों ग्राम–बगहवाँ एवं कुबेरही को सम्पर्कता प्राप्त होने के कारण इसे किसी भी कोर नेट वर्क में सम्मिलित नहीं किया गया है। इस पथ के निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

सड़क का पुनर्निर्माण

ग्राम्य–245. श्री आनंद शंकर सिंह—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत एन0एच0 2 से देव मुख्यालय को जोड़ने वाली भाया अननपुरा तक की सड़क विगत चार वर्षों से जर्जर है जिसके कारण ग्रामीणों को आने–जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(2) यदि हाँ, तो सरकार कबतक अननपुरा तक के सड़क का पुनर्निर्माण कराकर आवागमन सुनिश्चित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) आंशिक स्वीकारात्मक।

(2) वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ की लम्बाई 5.3 कि0मी0 है जो नई अनुरक्षण नीति के तहत श्रेणी–1 में शामिल है।

उक्त पथ की मरम्मती हेतु डी0पी0आर0 की माँग संबंधित कार्यपालक अभियंता से की गई है। तदनुसार अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सकेगी।

पुल का जीर्णोद्धार

ग्राम्य–246. श्री आनंद शंकर सिंह—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत औरंगाबाद प्रखंड के ग्राम–बड़वा में पुल विगत चार वर्षों से जर्जर है जिससे बड़े वाहनों का आवागमन पूरी तरह ठप है ;

(2) यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त जर्जर पुल का जीर्णोद्धार कराकर आवागमन सुनिश्चित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक।

(2) वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पुल की लम्बाई 32.00 मी0 है जो अदरी नदी पर स्थानीय सांसद निधि से लगभग 15 वर्ष पूर्व बनाया गया था। नदी के तेज बहाव में इस पुल की नींव एवं स्लैब धंस गया है। इस पुल के अप स्ट्रीम में 6.00 कि0मी0 की दूरी पर तथा डाउन स्ट्रीम में 2.00 कि0मी0 की दूरी पर पुल अवस्थित है।

वर्तमान में इस पुल के जीर्णोद्धार की कोई योजना सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

सड़क का पुनर्निर्माण

ग्राम्य–279. श्री आनंद शंकर सिंह––क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि––

(1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत औरंगाबाद प्रखंड के इब्राहिमपुर से उन्थुफौल तक सड़क विगत तीन वर्षों से जर्जर अवस्था में है, जिससे आम लोगों को आवागमन में कठिनाई का सामना करना पड़ता है ;

(2) यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त सड़क का पुनर्निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री––(1) आंशिक स्वीकारात्मक।

(2) वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ की लम्बाई 6 कि0मी0 है। नई अनुरक्षण नीति के तहत यह पथ श्रेणी–II अन्तर्गत है।

संसाधन की उपलब्धता के आधार पर अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सकेगी।

पुल का निर्माण

ग्राम्य–60. श्री अचमित ऋषिदेव––क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखंड के मझुआ ग्राम में कमताहा धार के ठेंगहा घाट पर पुल नहीं रहने से मझुआ पूरब, मझुआ पश्चिम, बसैठी गुणवंती, धोबनिया, काला बलुआ आदि कोशिकापुर पंचायत 25,000 आबादी को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त घाट पर पुल बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री––स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पुल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत टी0 4 से मझुआ उत्तर पथ पर अवस्थित है। अभी उक्त पुल के अप स्ट्रीम एवं डाउन स्ट्रीम में 3.50 कि0मी0 एवं 8 कि0मी0 पर पुल निर्मित है। प्रश्नाधीन पुल की लम्बाई 137.04 मीटर है तथा इसका प्राक्कलन एस0टी0ए0 से अनुमोदनोपरांत स्वीकृति हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार में भेजा गया था। परन्तु जुलाई, 2015 में इन्हें बिना स्वीकृति के वापस किया गया है। पुनः डी0पी0आर0 को पुनरीक्षित कर स्वीकृति हेतु भेजने की प्रक्रिया की जा रही है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से स्वीकृति के पश्चात् उक्त पुल का निर्माण कराया जा सकेगा।

पुल का निर्माण

ग्राम्य–61. श्री अचमित ऋषिदेव––क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि––

(1) क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखंड के ग्राम पंचायत मोहनी के ग्राम–मोहनी में दुलारदई नदी पर लकड़ी का पुल क्षतिग्रस्त है जिसके चलते बसैठी, गुणवंती, बौसी, फरकिया, धोबनिया, मझुआ, पहुसरा, मिर्जापुर, नंदनपुर, घघरी आदि पंचायत के 50 हजार से अधिक के आबादी को अवागमन में कठिनाई होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त नदी पर पुल के निर्माण से उक्त पंचायतों की दूरी जिला मुख्यालय अररिया से 20 कि0मी0 कम हो जायेगा ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मोहनी घाट में पुल का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक है।

(2) स्वीकारात्मक है।

(3) वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पुल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत गर‍ ई फरकिया पथ पर अवस्थित है। उक्त पुल की लम्बाई 62.52 मीटर है। डी0पी0आर0 पर एस0टी0ए0 का अनुमोदन प्राप्त कर स्वीकृति हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय, भार सरकार को समर्पित किया गया है। भारत सरकार से स्वीकृति के पश्चात् प्रश्नाधीन पुल का निर्माण कराया जा सकेगा।

पुल का निर्माण

ग्राम्य–100. श्री अचमित ऋषिदेव—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखंड के बरबन्ना पंचायत में कबिलासा घाट पर नदी में पुल नहीं रहने से लोगों को आवागमन में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त घाट पर पुल बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पुल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत निर्माणाधीन पथ रानीगंज से कबिलासा (पैकेज सं0 BR-01R-162) पर अवस्थित है। उक्त पुल की लम्बाई 50 मीटर होगी। उक्त पुल के अप स्ट्रीम एवं डाउन स्ट्रीम में पूर्व से 10 कि0मी0 एवं 3 कि0मी0 पर पुल निर्मित है। उक्त पुल का परियोजना प्रस्ताव तैयार कर ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जाने की कार्रवाई की जा रही है। स्वीकृति के पश्चात् पुल का निर्माण कराया जा सकेगा।

पुल का निर्माण

ग्राम्य 101. श्री अचमित ऋषिदेव—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखंड के ग्राम पंचायत विस्टोरिया के ग्राम–विस्टोरिया में खरसाही–विस्टोरिया के बीच नदी में पुल नहीं रहने से लोगों को आवागमन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार खरसाही–विस्टोरिया के बीच पुल बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पुल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत निर्मित पथ पी0डब्लू0डी0 रोड विस्टोरिया से जगता पर अवस्थित है। उक्त पुल के अप स्ट्रीम एवं डाउन स्ट्रीम में 10 कि0मी0 एवं 3 कि0मी0 पर निर्मित पुल है। प्रश्नाधीन पुल की लम्बाई 77.52 मीटर है तथा इसका प्राक्कलन एस0टी0ए0 से अनुमोदनोपरांत ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को समर्पित किया जा रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से स्वीकृति के पश्चात् इसका निर्माण कराया जा सकेगा।

पुल का निर्माण

ग्राम्य–129. श्री अचमित ऋषिदेव––क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखंड के बरबन्ना पंचायत कदम घाट में फरियानी नदी पर पुल नहीं रहने से बरबन्ना, बगुलाहा, कोशिकापुर, कोशिकापुर दक्षिण पंचायत के 10,000 (दस हजार) आबादी को बरसात के दिनों में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कदम घाट पर पुल बनाने का कबतक विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री––स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पुल पी०एम०जी०एस०वाई० अन्तर्गत निर्माणाधीन पथ रानीगंज से कदिलासा (पैकेज सं० BR-01-162) तक पर अवस्थित है। पी०एम०जी०एस०वाई० योजना अन्तर्गत प्रस्ताव में शामिल करने की प्रक्रिया में है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से स्वीकृति के पश्चात् इसका निर्माण कराया जा सकेगा।

पुल का निर्माण

ग्राम्य–130. श्री अचमित ऋषिदेव––क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखंड के बगुलाहा पंचायत के राजस्व मौजा बड़हरा में फरियानी नदी पर पुल नहीं रहने से बरसात के दिनों में कोशिकापुर उत्तर, कोशिकापुर दक्षिण, बेलसारा, महुआ पंचायत के करीब 5,000 लोगों का आवागमन का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है यदि हाँ, तो क्या सरकार बड़हरा में फरियानी नदी पर पुल बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री––स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पुल अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखंड के बगुलाहा पंचायत के राजस्व मौजा बड़हरा में फारबिसगंज प्रमंडल के राज्य कोर नेटवर्क के प्राथमिकता सूची क्रमांक के 146 पर अंकित बड़हरा चौक से शिव मंदिर टोला तक पथ जो फरियानी नदी तक जाती है पर अवस्थित है। प्राथमिकता क्रमानुसार पथ के साथ पुल का निर्माण कराया जा सकेगा।

पुल का निर्माण

ग्राम्य–188. श्री अशोक कुमार––क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत वारिसनगर विधान–सभा में वारिसनगर प्रखंड अन्तर्गत डरसुर पंचायत के बल्लीपुर ग्राम में रामजीवन सिंह के घर के पूरब शांति नदी में अबतक पुल का निर्माण नहीं होने की वजह से स्थानीय लोगों को एवं विशेष कर किसानों को आवाजाही में कठिनाई होती हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर आर०सी०सी० पुल का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री––वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नागत पुल का नाम राजस्व नक्शा के अनुसार बागमती नदी है न कि शांति नदी जो कि बरसाती नदी है। प्रस्तावित पुल का एलाईमेंट का पथ सी०एन०सी०पी०एल० में सम्मिलित नहीं है।

अतः वर्णित स्थल पर पुल निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

पुल का निर्माण

ग्राम्य–209. श्री अशोक कुमार—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत वारिसनगर विधान–सभा में खानपुर प्रखंड अन्तर्गत रजवाड़ा ग्राम से रजवाड़ा चौर जाने के लिये सियाराम झा के डेरा के पास बाहा में पुल का निर्माण नहीं होने के कारण स्थानीय लोगों को एवं विशेषकर किसानों को आवाजाही में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर आर0सी0सी0 पुल का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन स्थल के दक्षिण भाग में ईंट सोलिंग पथ एवं उत्तर भाग में सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं है।

अतः वर्णित स्थल पर पुल निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

पुल का निर्माण

ग्राम्य–210. श्री अशोक कुमार—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत वारिसनगर विधान–सभा में खानपुर प्रखंड के दिनमनपुर उत्तरी पंचायत के सुरौल ग्राम में बुआरे नदी पर पूर्व में बना पुल जर्जर है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर आर0सी0सी0 पुल का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन स्थल पर आठ भेंट का **Submersible Bridge** पूर्व से बना हुआ है। इस स्थल के अप स्ट्रीम में 2.0 कि0मी0 एवं डाउन स्ट्रीम में 4.0 कि0मी0 पर पुल निर्मित है।

अतः वर्णित स्थल पर आर0सी0सी0 पुल निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

पथ का निर्माण

ग्राम्य–211. श्री अशोक कुमार—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के शिवाजीनगर प्रखंड अन्तर्गत बल्लीपुर, हासोपुर घाट पथ में अवस्थित पुल का निर्माण वर्ष 2014 में हुआ था ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त पुल के पहुँच पथ का निर्माण तक नहीं होने के कारण पुल पर आवागमन अवरुद्ध है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त पुल का पहुँच पथ का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) आंशिक स्वीकारात्मक है। पुल का निर्माण वर्ष 2015 में हुआ है।

(2) आंशिक स्वीकारात्मक है।

(3) वस्तुस्थिति यह है कि पुल के पश्चिम भाग में पहुँच पथ में मिट्टी एवं बोल्डर पिचिंग का कार्य करा दिया गया है एवं शेष कार्य प्रगति पर है तथा पूरब तरफ 70 मीटर तक मिट्टी का कार्य करा दिया गया है शेष भाग में भूमि विवाद रहने के कारण एप्रोच कार्य बाधित है जिसके लिये अंचलाधिकारी, शिवाजीनगर को मापी हेतु लिखा गया है। मापी होने पर अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी।

सड़क का पक्कीकरण

ग्राम्य–25. श्री (मो0) आफाक आलम––क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत कसबा प्रखंड के लखना पंचायत के डुमरी पक्की सड़क से शागीर के घर होते हुये दुबैली पक्की सड़क तक की सड़क कच्ची है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त सड़क का पक्कीकरण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री––स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ डुमरी पक्की सड़क से डुमरी गाँव होते हुये दुबैली पक्की सड़क तक जाती है जो वर्तमान में कच्ची पथ है। यह पथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कोर नेटवर्क के क्रमांक–7 में सम्मिलित है जिसका लिंक सं0 एल0 55 है। उक्त पथ की लं0 1.00 कि0मी0 है। एन0आर0आर0डी0ए0, भारत सरकार से स्वीकृति के पश्चात् उक्त पथ का निर्माण कराया जाना संभव हो सकेगा।

पुल का निर्माण

ग्राम्य–33. श्री (मो0) आफाक आलम––क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत कसबा प्रखंड के संझौली पंचायत के कुसहा गाँव के पूरब पनार नदी के ईदगाह घाट पर पुल नहीं है जिससे आम लोगों को आने–जाने में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार ईदगाह घाट पर पुल का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री––स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पुल स्थल के अप स्ट्रीम एवं डाउन स्ट्रीम में 3 कि0मी0 की दूरी पर पुल निर्मित है। वर्तमान में प्रश्नाधीन पुल का निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

पुल का निर्माण

ग्राम्य–35. श्री (मो0) आफाक आलम––क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत जलालगढ़ प्रखंड के संथाली चौक के पूरब दादर घाट पर बना पुल 25 वर्षों से टूटा हुआ है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पुल का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री––स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन दादर घाट पर पुल संथाली चौक से भटैली की ओर जाने वाली पथ जिसकी लम्बाई 2.75 कि0मी0 है, पी0एम0जी0एस0आई0 से अवशेष कार्य अन्तर्गत वर्ष 2009 में निर्मित है, के चैनेज 900 मीटर में अवस्थित है। इस पुल के साथ यह पथ भी क्षतिग्रस्त है। यह पथ कार्य प्रमंडल, पूर्णियाँ अन्तर्गत वर्ष 2015–16 के अनुरक्षण योग्य श्रेणी–I के पथों की सूची में क्रमांक–2 पर अंकित है। प्राथमिकता क्रमानुसार प्रश्नाधीन पुल एवं पथ की मरम्मती कराया जाना संभव हो सकेगा।

पुल का निर्माण

ग्राम्य–47. श्री (मो0) आफाक आलम—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत के0 नगर एवं श्रीनगर प्रखंड के बीच हसैली खुट्टी पंचायत (के0 नगर प्रखंड) के कोटि घाट पर पुल नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है उक्त स्थान पर पुल नहीं रहने से श्रीनगर, कसबा ए. के0 नगर प्रखंड की आम जनता को आवागमन में कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त घाट पर पुल का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक है।

(2) अस्वीकारात्मक है।

(3) वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पुल का पहुँच पथ दोनों तरफ मिलाकर 1.50 कि0मी0 है। उक्त लम्बाई में कोई भी बसावट नहीं रहने के कारण इसे राज्य कोर नेटवर्क में शामिल नहीं किया गया है। उक्त पुल स्थल के अप स्ट्रीम में 7 कि0मी0 की दूरी पर 3 x 22.5 m आकार का उच्चस्तरीय पुल है एवं डाउन स्ट्रीम में 8 कि0मी0 की दूरी पर स्क्रू पाईल पुल 144 मी0 लम्बाई में निर्मित है। वर्तमान में प्रश्नाधीन पुल का निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

पुल का निर्माण

ग्राम्य–118. श्री (मो0) आफाक आलम—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत कसबा प्रखंड के मोहनी, टिकापुर गाँव से दक्षिण कोसी धार घाट पर पुल नहीं होने के कारण कसबा प्रखंड एवं पूर्णियाँ जिला मुख्यालय जाने में आम जनता को कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर पुल का निर्माण कार्य पूर्ण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पुल के दोनों तरफ के बसावट को दो अलग–अलग पथों से सम्पर्कता प्राप्त हो गयी है। उक्त पुल के अप स्ट्रीम एवं डाउन स्ट्रीम में लगभग 1 कि0मी0 की दूरी पर निर्मित पुल है। प्रश्नाधीन पुल का निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

सड़क का पक्कीकरण

ग्राम्य–217. श्री अशोक कुमार सिंह—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत रफीगंज प्रखंड के ग्राम–दरमियाँ से ग्राम तुफानी बिगहा तक पक्की सड़क का निर्माण नहीं होने से ग्रामीणों को आवागमन में कठिनाई होती है ;

(2) यदि हाँ, तो क्या सरकार वर्णित स्थल पर पक्की सड़क का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री---(1) अस्वीकारात्मक।

(2) वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ की लम्बाई 2.65 कि0मी0 है, जो ग्राम–दरमियाँ एवं तुफानी बिगहा को जोड़ती है। दरमियाँ बसावट को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत निर्माणाधीन पथ L045 से मझखर (BR-02R-389) से सम्पर्कता प्रदान की जा रही है जबकि तुफानी बिगहा केन्द्रीय एजेंसी, इरकॉन द्वारा निर्मित रफीगंज भदवा औरंगाबाद पथ पर अवस्थित है। इस प्रकार प्रश्नाधीन दोनों बसावटों को एकल सम्पर्कता प्रदान की जा चुकी है।

प्रश्नाधीन पथ किसी कोर नेटवर्क में शामिल नहीं है। फलतः इसके निर्माण की कोई योजना सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

पुल का निर्माण

ग्राम्य–218. श्री अशोक कुमार सिंह (224)---क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि---

(1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत रफीगंजे प्रखंड के ग्राम पचरिया के पास मदार नदी पर पुल नहीं रहने से आस–पास के गाँव के लोगों को आवागमन में कठिनाई होती है ;

(2) यदि हाँ, तो क्या सरकार वर्णित स्थल पर मदार नदी में पुल निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री---(1) अस्वीकारात्मक ।

(2) वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पुल स्थल के दोनों ओर कुल 1.8 कि0मी0 लम्बाई में ग्रामीण कार्य विभाग की कोई पक्की सड़क निर्मित नहीं है। उक्त पुल स्थल के अप स्ट्रीम में 5.00 कि0मी0 की दूरी पर एवं डाउन स्ट्रीम में 2.50 कि0मी0 की दूरी पर पुल निर्मित है।

उक्त स्थल पर पुल निर्माण का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

पुल का निर्माण

ग्राम्य–219. श्री अशोक कुमार सिंह (224)---क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि---

(1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत रफीगंज प्रखंड में अठगोड़वा पहाड़ के नजदीक ग्राम–साहोकर्मा के पास धावा नदी पर पुल नहीं होने से ग्रामीणों को आवागमन में कठिनाई होती है ;

(2) यदि हाँ, तो क्या सरकार वर्णित स्थल पर धावा नदी में पुल का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) अस्वीकारात्मक ।

(2) वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पुल स्थल के दोनों ओर ग्रामीण कार्य विभाग की कोई सड़क निर्मित नहीं है। इस स्थल के अप स्ट्रीम में 4.00 कि0मी0 की दूरी पर और डाउन स्ट्रीम में 6.00 कि0मी0 की दूरी पर पुल अवस्थित है।

प्रश्नाधीन पुल के निर्माण की कोई योजना सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

कार्यालय खोलना

सामु–17. श्री अजीत शर्मा—क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के भागलपुर शहर के आम जनता को जन्म प्रमाण–पत्र, जाति प्रमाण–पत्र, बी0पी0एल0 कार्ड आदि बनाने के लिये जगदीशपुर प्रखंड में जाना पड़ता है, भागलपुर शहर से जगदीशपुर प्रखंड की दूरी 15 कि0मी0 से अधिक है, यदि हाँ, तो क्या सरकार भागलपुर शहर में प्रखंड कार्यालय खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—अंशतः स्वीकारात्मक है। भागलपुर जिलान्तर्गत जगदीशपुर प्रखंड अन्तर्गत कुल 15 पंचायत एवं नगर निगम, भागलपुर के सभी वार्ड सम्मिलित है। नगर निगम का क्षेत्र विस्तृत है। पंचायतों से प्रखंड मुख्यालय की अधिकतम दूरी लगभग 8–10 कि0मी0 है। परन्तु भागलपुर शहर से प्रखंड मुख्यालय, जगदीशपुर की दूरी लगभग 15 कि0मी0 है।

नगर निगम क्षेत्र की जनता के लिये मृत्यु प्रमाण–पत्र, जन्म प्रमाण–पत्र, बी0पी0एल0 कार्ड आदि का वितरण नगर निगम कार्यालय, भागलपुर से होता है। केवल आवासीय प्रमाण–पत्र, जाति प्रमाण–पत्र एवं आय प्रमाण–पत्र के लिये अंचल कार्यालय, जगदीशपुर जाने की आवश्यकता होती है। अधिकांश कार्य नगर निगम के माध्यम से ही सम्पन्न होते हैं। दिव्यांग पेंशन एवं कुष्ठ रोगी पेंशन को छोड़कर अन्य सभी पेंशन आदि का वितरण भी नगर निगम कार्यालय के माध्यम से होता है।

जगदीशपुर प्रखंड अन्तर्गत भागलपुर शहरी क्षेत्र के साथ–साथ अन्य पंचायतों से किसी प्रकार के प्रमाण–पत्र प्राप्त करने में कठिनाई का कोई दृष्टांत प्रकाश में नहीं आया है। सभी कार्य सुचारू रूप से निष्पादित हो रहे हैं। जगदीशपुर प्रखंड को कार्यालय भवन हेतु अपनी भूमि उपलब्ध है तथा प्रखंड कार्यालय का अपना भवन है।

भागलपुर शहर में नये प्रखंड के सृजन का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है और न ही सरकार के पास विचाराधीन है। सम्प्रति पंचायत आम निर्वाचन, 2016 अधिसूचित है। फलस्वरूप ऐसे नये प्रस्ताव पर कार्रवाई आरंभ करना संभव नहीं है।

संवेदक पर कार्रवाई

पथ–122. श्री अजीत शर्मा—क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के एन0एच0 80 सडक से मध्य कचहरी चौक से स्टेशन तक के पथ का विगत दो वर्ष पूर्व निर्माण किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त पथ जर्जर होकर गड्ढा में बदल जाने के कारण आवागमन में कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त सड़क निर्माण कराते हुये दोषी संवेदक पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक है।

(2) एवं (3) प्रश्नगत पथांश राष्ट्रीय उच्च पथ सं0 80 के कि0मी0 128 से 130 तक का पथांश है। उक्त पथांश अभी संवेदक के DLP (Defect Liability Period) में है। DLP अवधि में पथ के रख–रखाव (Maintain) संवेदक के अपने खर्च पर करने का एकारारनामा में प्रावधान है। संवेदक द्वारा उक्त पथांश में DLP के तहत पथ को मेन्टेन किया जा रहा है। उक्त पथांश में नगर निगम, भागलपुर का पाइप लाइन कचहरी चौक एवं घंटाघर चौक के पास हमेशा Leak करता है जिससे इस पथांश की स्थिति खराब हो जाती है। पाइप का Leakage ठीक करने हेतु नगर आयुक्त, भागलपुर से अनुरोध किया गया है। अभी वर्तमान में उक्त पथांश में सभी स्थानों पर पथ को ठीक करा लिया गया है एवं पथ Motorable है।

पथ का निर्माण

पथ–96. श्री अशोक कुमार—क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला अन्तर्गत तिलौथू प्रखंड में निमियाडीह–तिटौली पथ इस क्षेत्र का महत्त्वपूर्ण पथ रहने के बावजूद विगत 8 वर्षों से मरम्मती नहीं हुआ है और जर्जर हो गया है जिससे आवागमन पूर्णतः बंद है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पिछले तीन वर्षों से इस पथ का जिला के प्राथमिकता सूची में रहने के बाद भी इसकी मरम्मती नहीं हो सकी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त पथ का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1), (2) एवं (3) रोहतास जिलान्तर्गत तिलौथू प्रखंड में निमियाडीह–तिटौली पथ की कुल लम्बाई 15.6 कि0मी0 एवं चौड़ाई 3.65 मीटर है। वित्तीय वर्ष 2009–10 एवं वर्ष 2011–12 में गैर–योजना मद से मरम्मती कार्य कराया गया है तथा वर्ष 2015–16 में गैर–योजना मद से मरम्मती कार्य हेतु एकरारनामा की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। मई, 2016 तक कार्य करा लेने का लक्ष्य है। आवागमन चालू है।

सड़क का निर्माण

ग्राम्य–102. श्री अशोक कुमार सिंह—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि कैमूर जिला के नुआंव प्रखंड अन्तर्गत प्रधानमंत्री सड़क के नोनिया, दमदगा टोला से परसिया, बरूना, टीटईया सड़क की लम्बाई 10 कि0मी0 है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त सड़क में बरूना गाँव से टीटईया गाँव तक 1.5 कि0मी0 सड़क नहीं बना है ;

(3) क्या यह बात सही है कि उक्त सड़क बन जाने से एन0एच0 30 परसथुआ की दूरी 5 कि0मी0 कम हो जायेगी ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक।

(2) स्वीकारात्मक।

(3) आंशिक स्वीकारात्मक।

(4) वस्तुस्थिति यह है कि बरूना एवं टीटईया दोनों गाँवों को अलग–अलग बारहमासी सड़कों से एकल सम्पर्कता प्राप्त है। फलस्वरूप प्रश्नाधीन पथ के किसी भी कोर नेटवर्क में शामिल नहीं होने के कारण इसके निर्माण की कोई योजना सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

पथ का पुनर्निर्माण

पथ–25. श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन—क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत प्रखंड समस्तीपुर के डी0आर0एच0 चौक से भाया कोरबद्धा, लगुसिया रककंठ, रामपुर कोशीपट्टी, शीतलपट्टी होते हुये हुरहिया तक जाने वाली ग्रामीण सड़क जर्जर एवं संकीर्ण है जिसके कारण आम लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त आर0डब्लू0डी0 पथ को आर0सी0डी0 पथ में स्थानांतरित कर उसका पुनर्निर्माण कार्य कराना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—प्रश्नाधीन पथ वर्तमान में ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन है जिसकी कुल लम्बाई 10.00 कि0मी0 है।

पथ में वाहनों की संख्या पथ में उपलब्ध ROW (Right of Way) एवं पथ की उपयोगिता के अध्ययन के बाद ही विभाग में अधिग्रहण पर विचार किया जाता है।

वर्तमान में इस पथ को पथ निर्माण विभाग में अधिग्रहण का प्रस्ताव नहीं है।

सड़क का जीर्णोद्धार

ग्राम्य–71. श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत समस्तीपुर प्रखंड के बेला चौक से भाया पुनास होते हुये रानीटोल जाने वाली जनोपयोगी ग्रामीण सड़क जर्जर हो चुका है जिससे आमजन को आने–जाने में कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त सड़क का जीर्णोद्धार कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—वस्तुस्थिति यह है कि इस पथ की कुल लम्बाई 9.8 कि0मी0 है जो कालीकृत एवं खराब है। पथ के मरम्मती में लगभग 325 लाख (तीन करोड़ पच्चीस लाख) रु0 व्यय अनुमानित है। यह पथ पाँचवर्षीय अनुरक्षण नीति में नहीं है और न ही श्रेणी–1 की अर्हता रखता है। सम्प्रति विभाग द्वारा श्रेणी–1 के अन्तर्गत आने वाली पथों का मरम्मती कार्य कराया जा रहा है। अभी पथ के मरम्मती का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

कार्य कराना अनुरक्षण

ग्राम्य–72. श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत समस्तीपुर प्रखंड के बाजोपुर जेल चौक से भाया राजखंड होते हुये पाहेपुर चक अब्दुलगनी की ओर जाने वाली ग्रामीण सड़क जर्जर रहने के कारण आम लोगों को आवागमन में कठिनाई का सामना करना पड़ता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त सड़क निर्माण मद में अनुरक्षण की राशि रहते हुये संवेदक द्वारा अनुरक्षण कार्य नहीं कराया जा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त ग्रामीण सड़क का अनुरक्षण कार्य कराना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) अस्वीकारात्मक है।

(2) अस्वीकारात्मक है।

(3) वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ दो पथों से संबंधित है :–

(1) बाजोपुर चौक से विशनपुर बान्दे पथ—इस पथ की लम्बाई 3.10 कि0मी0 है। इस पथ का निर्माण मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से हुआ था जिसके निर्माण कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि 2 जनवरी, 2012 थी एवं अनुरक्षण अवधि दिनांक 1 जनवरी, 2017 तक है। संवेदक को पथ का अनुरक्षण करने का निदेश दिया गया है। अनुरक्षण कार्य मार्च, 2016 तक करा लिया जायेगा।

(2) एक्स रोड एल0 52 से पाहेपुर पथ—इस पथ की लम्बाई 1.89 कि0मी0 है। इस पथ का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से हुआ था जिसके निर्माण कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि 28 जुलाई, 2012 थी एवं अनुरक्षण अवधि दिनांक 28 जुलाई, 2017 तक है। संवेदक को पथ का अनुरक्षण करने का निदेश दिया गया है। संवेदक द्वारा अनुरक्षण कार्य मार्च, 2016 तक पूरा नहीं करने पर एकरारनामा की शर्तों के अनुसार कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है।

सड़क का निर्माण

सामु–10. श्री अनिल कुमार यादव—क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत मरगामा प्रखंड में रेशम लाल चौक से मवेशीधर जाने वाली सड़क की निविदा वर्ष 2014–15 में रद्द कर दिया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त सड़क के निर्माण नहीं होने से बरसात के दिनों में आवागमन बाधित रहता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त सड़क का कार्य प्रारंभ कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक है।

(2) आंशिक स्वीकारात्मक है।

(3) वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ का वास्तविक नाम मनुल्लाहपद्टी, रहरिया से रघुनाथपुर है जो वर्ष 2012–13 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत स्वीकृत है। पथ की निविदा में परिवाद के कारण विभाग द्वारा निविदा निरस्त कर दी गयी थी जिसके उपरांत परिवादी श्री बाबा कन्सट्रक्शन द्वारा दायर मामला माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन था। माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय परिवादी के विरुद्ध हुआ है जिसके कारण कार्य का कार्यान्वयन पुनर्निविदा के माध्यम से किया जाना है। प्राक्कलन को पुनरीक्षित करने की कार्रवाई की जा रही है। पुनरीक्षित प्राक्कलन की स्वीकृति के उपरांत निविदा की अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

मुख्य सड़क से जोड़ना

ग्राम्य–313. श्रीमती बेबी कुमारी—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वर्ष 2008–09 में ही राज्य सरकार द्वारा प्रावधान किया गया था कि राज्य के सभी महादलित/दलित टोला को मुख्य सड़क से जोड़ा जायेगा परन्तु मुजफ्फरपुर जिला के बोचहा विधान–सभा क्षेत्रान्तर्गत मुसहरी एवं बोचहा प्रखंड स्थित मनीका, विशनपुर, चाँद, विशुनपुर, जगदीश आथर इत्यादि पंचायतों में वर्तमान समय तक दलित/महादलित टोला को मुख्य सड़कों से नहीं जोड़ा गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त पंचायतों के दलित/महादलित टोला को मुख्य सड़कों से जोड़ने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना के तहत राज्य कोर नेटवर्क में सम्मिलित योजनाओं का कार्यान्वयन माननीय विधायक के अनुशंसा के आलोक में कराया जा रहा है। इससे बहुत सारे दलित टोला/महादलित टोला मुख्य सड़क से जुड़ चुके हैं। बोचहा प्रखंड के विशनपुर, जगदीश पंचायत के अन्तर्गत आथर धोबी टोला, आथर मुस्लिम टोला एवं गुढ़नी हरिजन टोला मुख्य सड़क से जुड़ गये हैं तथा राम सागर राम टोला, रमई नगर टोला एवं गुढ़नी, कामेश्वर राम टोला को बारहमासी सड़क सम्पर्कता प्रदान नहीं है। मुसहरी प्रखंड अन्तर्गत मणिका विशुनपुर, चाँद पंचायत के दोनों महादलित टोलो राम टोला एवं पासवान टोला को बारहमासी सड़क सम्पर्कता प्रदान नहीं है।

पूरे राज्य में पूर्व से तैयार राज्य कोर नेटवर्क में छूटे हुये/अचिह्नित टोलों अथवा बसावटों को सेटलाईट मैपींग की मदद से चिह्नित करने की कार्रवाई की जा रही है। इन अचिह्नित टोलों एवं बसावटों को चिह्नित करते हुये इन्हें बारहमासी सड़क सम्पर्कता प्रदान करने हेतु Supplementry Core Network Map तैयार किया जायेगा।

पथ का जीर्णोद्धार

ग्राम्य–361. श्रीमती बेबी कुमारी––क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि––

(1) क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिला के रहुई प्रखंडान्तर्गत रहुई से भागन बीघा राज्य पथ से ग्राम–डीहरा के पूरब मोड़ से रहीमपुर ग्राम तक जाने वाली ग्रामीण पथ विगत तीन–चार वर्षों से जीर्ण–शीर्ण होकर गड्ढ़े में तब्दील हो गई है जिससे ग्राम–रहीमपुर, गंजपर, कुतुबपुरा सहित अन्य दर्जनों गाँवों के ग्रामीणों का आवागमन ठप है ;

(2) यदि हाँ, तो क्या सरकार जनहित में उक्त पथ का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री––(1) आंशिक स्वीकारात्मक है।

(2) वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ की लम्बाई 1.26 कि0मी0 है। यह पथ किसी कोर नेटवर्क में आरेखित नहीं है।

इस पथ के निर्माण की कोई योजना सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

कार्य पूर्ण कराना

ग्राम्य–64. श्री बशिष्ठ सिंह––क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि––

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला अन्तर्गत करगहर प्रखंड में बी0आर0 28/62 सासाराम–चौसा पथ सिरिसियाँ से भगवानपुर 26.05 कि0मी0 एवं बी0आर0 28/73 कोनार–महुली तेन्दुआ पी0डब्लू0डी0 पथ से समहुता तक 6.02 कि0मी0 पथों का निर्माण कार्य अधूरा कर बंद कर दिया गया है जिससे ग्रामीणों को आवागमन में कठिनाई हो रही है ;

(2) यदि हाँ, तो सरकार उक्त पथों का निर्माण कार्य पूर्ण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री––(1) स्वीकारात्मक।

(2) वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथों का निर्माण केन्द्रीय एजेंसी एन0पी0सी0सी0 द्वारा कराया गया था। एन0पी0सी0सी0 द्वारा उनके पत्रांक 132, दिनांक 1 मार्च, 2016 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त दोनों पथों का निर्माण कार्य अधूरा छोड़ दिया गया था। संबंधित संवेदकों को काली सूची में डालते हुये उक्त कार्यो का पुनरीक्षित डी0पी0आर0 तैयार कर स्वीकृति हेतु भारत सरकार को भेजा गया है।

भारत सरकार से स्वीकृत्योपरान्त अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

कार्य पूर्ण कराना

ग्राम्य–135. श्री बशिष्ठ सिंह––क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि––

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला अन्तर्गत शिवसागर प्रखंड में बी0आर0 28/55 सिलारी पथ से डुमरी–शाहपुर पथ 4.05 कि0मी0 एवं बी0आर0 28/56 सिलारी पथ से रसेन्दुआ भाया बीयर बाँध तक 3.85 कि0मी0 का पथों का निर्माण कार्य एन0पी0सी0सी0 द्वारा वर्ष 2009–10 में शुरु किया गया था तथा कार्य अधूरा छोड़कर वर्ष 2011 में इसे बंद कर दिया गया है जिससे ग्रामीणों को आवागमन में कठिनाई हो रही है ;

(2) यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त अधूरे पथों का निर्माण कार्य पूर्ण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक है।

(2) वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्न निम्नांकित दो पथों से संबंधित है :–

(1) सिलारी पथ से डुमरी–शाहपुर पथ—इस पथ की लम्बाई 4.05 कि0मी0 है।

(2) सिलारी पथ से रसेन्दुआ भाया बीयर बाँध पथ—इस पथ की लम्बाई [illegible] कि0मी0 है।

उपर्युक्त दोनों पथों का निर्माण क्रमशः पैकेज संख्या बी0आर0 28/55 एवं 28/[illegible] के तहत केन्द्रीय एजेंसी एन0पी0सी0सी0 द्वारा कराया जा रहा है।

एन0पी0सी0सी0 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि ससमय कार्य पूरा नहीं करने के कारण संबंधित संवेदक को काली सूची में डालकर जमानत की राशि जप्त कर ली गयी है।

प्रश्नाधीन पथों का पुनरीक्षित प्राक्कलन एन0पी0सी0सी0 द्वारा भारत सरकार को स्वीकृति हेतु समर्पित किया गया है। स्वीकृत्योपरान्त अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

पथ का निर्माण

ग्राम्य–182. श्री बशिष्ठ सिंह—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि उग्रवाद प्रभावित जिला में आई0ए0पी0 के अन्तर्गत ग्रामीण पथ का निर्माण कराया जाता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि भारत सरकार द्वारा आई0ए0पी0 योजना बंद कर दिया गया है ;

(3) क्या यह बात सही है कि जिस जिला में आई0ए0पी0 योजना चल रहा था उस जिला में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से पथों का निर्माण नहीं हो रहा है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उग्रवाद प्रभावित जिला में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत पथों का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) उग्रवाद प्रभावित जिला में 250 या उससे अधिक आबादी वाले बसावटों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत बारहमासी सड़क निर्माण कर एकल सम्पर्कता प्रदान की जा रही है। इसके अन्तर्गत राज्य के 11 जिले क्रमशः औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल, जमुई, नवादा, कैमूर, मुंगेर, रोहतास, सीतामढ़ी एवं पश्चिमी चम्पारण हैं।

(2) इस विभाग से संबंधित नहीं है।

(3) स्वीकारात्मक है।

(4) नहीं। ऐसे जिलो में PMGSY पूर्ववत जारी है। वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा 11 IAP जिलों में 250 तक की आबादी वाले अनजुड़े बसावटों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सम्पर्कता प्रदान करने का प्रावधान है जबकि Non-IAP जिलों के लिये यह 500 तक की आबादी के लिये लागू है। IAP एवं Non-IAP जिलों में एकरूपता बनाये रखने हेतु मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त करते हुये मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना केवल Non-IAP जिलों में चलायी जा रही है।

पुल का निर्माण

सामु–20. श्री चन्दन कुमार—क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिलान्तर्गत अलौली प्रखंड के भिखारी घाट, पनपीवी के बीच बागमती नदी पर पुल नहीं रहने के कारण लगमा, भिखारी घाट, सहसी, गोड़ियामी पंचायत के लोगों को आवागमन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त नदी पर पुल का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन भिखारी घाट पनबीबी के बीच बागमती नदी पर पूर्व से स्क्रू पाइल पुल बना हुआ है जो अच्छी स्थिति में है। उक्त पुल से आवागमन में कोई कठिनाई नहीं है।

सड़क का पक्कीकरण

पथ–82. श्री चन्दन कुमार—क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिलान्तर्गत अलौली प्रखंड में छिलकौड़ी पंचायत के मछड़ा–एलास पथ जर्जर रहने के कारण बरसात के दिनों में पानी लग जाता है जिससे आवागमन बाधित हो जाता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार कबतक उक्त जर्जर सड़क का पक्कीकरण कराकर आवागमन बहाल करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ की लम्बाई 5.15 कि0मी0 है जिसमें से 4 कि0मी0 पथ अच्छी स्थिति में है। शेष 1.15 कि0मी0 पथांश का निर्माण कार्य जिला विकास योजनान्तर्गत दिनांक 4 अगस्त, 2009 को पूर्ण हुआ था। इस पथांश को श्रेणी–I में सम्मिलित किया गया है। निधि की उपलब्धता के आधार पर प्राथमिकतानुसार इसका मरम्मती कराया जा सकेगा।

पुल का निर्माण

पथ–83. श्री चन्दन कुमार—क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिला के खगड़िया प्रखंड अन्तर्गत जल कौड़ा, खड़गी, तिरासा के बीच तिरासी घाट पर पुल नहीं रहने के कारण ग्रामीणों को आने–जाने में कठिनाई होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त नदी पर पुल नहीं होने के कारण खगड़िया प्रखंड के कई पंचायत गंडक के दोनों पार में विभाजित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त नदी पर पुल का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक है।

(2) स्वीकारात्मक है।

(3) वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पुल राज्य कोर नेटवर्क के सी0एन0सी0पी0एल0 के क्रमांक–36 में सम्मिलित पथ पर अवस्थित है। प्राथमिकता क्रमानुसार उक्त पथ के साथ प्रश्नाधीन पुल का निर्माण कराया जा सकेगा।

पुल का निर्माण

पथ–95. श्री चन्दन कुमार––क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिला अन्तर्गत अलौली प्रखंड के शुम्भा–बाखड़ी पथ में ६ ुसमुरी–सहूना के बीच मृत बागमती नदी में छांड घाट पर पुल नहीं है जिसके कारण आम लोगों को आवागमन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक छांड़ घाट पर पुल निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री––स्वीकारात्मक है। इस स्थल पर पुल निर्माण की योजना वर्ष 2016–1' की कार्य योजना में शामिल किया जा रहा है।

बाइपास का निर्माण

पथ–125. श्री चन्द्रसेन प्रसाद––क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि––

(1) क्या यह बात सही है कि नालंदा जिला के एकंगरसराय में चार जिलों नालंदा, गया, जहानाबाद, पटना को जोड़ने के साथ राजधानी को जोड़ने वाली सड़कों का चौराहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त चौराहा पर वाहन के अत्यधिक दबाव के कारण जाम लगा रहता है जिससे राज्य के नालंदा, पटना, गया एवं जहानाबाद जिला मुख्यालय तक आवागमन में अत्यधिक समय लगता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार एकंगरसराय चौराहा पर दबाव कम करने के लिये बाइपास का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री––(1) स्वीकारात्मक है।

(2) एवं (3) एकंगरसराय चौराहा से करीब 300 मीटर पूरब में वर्तमान में जो रेलवे क्रॉसिंग है उससे लगभग 1 कि0मी0 दक्षिण में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा रेलवे ओभर ब्रीज (ROB) का निर्माण किया जाना है जिसकी स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। यह रेलवे ओभर ब्रीज (ROB) एकंगरसराय चौराहा से पूरब से प्रारंभ होकर चौराहा के पश्चिम में एन0एच0 110 के मूल रेखांकरण पर मिलेगा। इस प्रकार यह रेलवे ओभर ब्रीज (ROB) चौराहा का बाइपास के रूप में कार्य करेगा।

सड़क का निर्माण

ग्राम्य–43. श्री दिनेश चन्द्र यादव––क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत सलखुआ पंचायत के गोरियारी पश्चिम पी0एम0जी0एस0वाई0 सड़क से कोसी बाँध तक भाया ओरेली मुसहरी के बीच पक्की सड़क नहीं रहने से आम लोगों को दिक्कत होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त सड़क (बाबा जी कुण्डी नाला पर पुल सहित) का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री––स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ एवं पुल राज्य कोर नेटवर्क के सी0एन0सी0पी0एल0 के क्रमांक–48 पर अंकित पथ कोसी बाँध से ओरेली पथ लम्बाई 4 कि0मी0 से संबंधित है। उक्त पथ कच्ची है। प्राथमिकता क्रमानुसार प्रश्नाधीन पथ एवं पुल का निर्माण कराया जाना संभव हो सकेगा।

पुल का निर्माण

ग्राम्य–53. श्री दिनेश चन्द्र यादव—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत सलखुआ प्रखंड के गोरियारी से कोसी बाँध पी0एम0जी0एस0वाई0 सड़क के बीच मुसहरिया ड्रेनेज पर पूर्व से बने लोहे का पुल जर्जर हो गया है जिसके कारण छोटी वाहन के गुजरने से भी पुल हिलने लगता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त लोहे के पुल के स्थान पर उच्चस्तरीय आर0सी0सी0 पुल बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पुल पी0एम0जी0एस0वाई0 सड़क गोरियारी से कोसी बाँध के मुसहरिया ड्रेनेज पर अवस्थित है। उक्त स्थल पर क्षतिग्रस्त लोहे के पुल के स्थान पर उच्चस्तरीय आर0सी0सी0 पुल निर्माण हेतु टेक्नो फिजिबिलिटी रिपोर्ट की माँग की गई है। तत्पश्चात् उक्त संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त करने की अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

पथ का निर्माण

पथ–31. श्री दिनेश चन्द्र यादव—क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि सहरसा जिला अन्तर्गत बल्थी से मुसहरियाँ पथ में पाँचवें एवं छठे कि0मी0 में दो उच्चस्तरीय पुल बनकर तैयार है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त पथ में 3.5 कि0मी0 से 6.5 कि0मी0 तक पथ निर्माण नहीं होने से आम लोगों को आवागमन में दिक्कत हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त पथ का निर्माण कराना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि सहरसा जिला के बल्थी–मुसहरियाँ पथ के 5वें एवं 6ठे कि0मी0 में दो उच्चस्तरीय आर0सी0सी0 पुल का निर्माण बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0 द्वारा किया गया है।

(2) बल्थी–मुसहरियाँ पथ की कुल लम्बाई 6.55 कि0मी0 है। इस पथ के 0 से 3.75 कि0मी0 पथांश के निर्माण हेतु बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0 द्वारा एकरारनामा किया गया था जो निर्माणाधीन है। 3.75 कि0मी0 से 6.55 कि0मी0 पथांश (लम्बाई 2.80 कि0मी0) भाग में दो उच्चस्तरीय पुल के निर्माण के बाद ही पथ का निर्माण संभव था। पुल का निर्माण पूर्ण हो गया है। वर्तमान में यह पथांश पगडंडी या खेत के रूप में है। सड़क निर्माण नहीं होने के कारण आवागमन चालू नहीं है।

(3) राशि उपलब्धता के अनुसार इस पथ के 3.75 कि0मी0 से 6.55 कि0मी0 पथांश को वर्ष 2016–17 की कार्य योजना में शामिल कर स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया जायेगा।

सड़क का पक्कीकरण

ग्राम्य–9. **श्री दिनकर राम**—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बथनाहा विधान–सभा क्षेत्र के दिग्घी से विनपुर जाने वाली सड़क काफी जर्जर है जिसके कारण आम लोगों को आवागमन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त सड़क का पक्कीकरण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ की लम्बाई 1.6 कि0मी0 है जो आंशिक कच्ची एवं ईंटीकृत है। दिग्घी ग्राम को रनौली मोड़ से दिग्घी तथा विशनपुर ग्राम को एन0एच0 77 विशनपुर पथ से एकल सम्पर्कता प्राप्त है। दिग्घी एवं विशनपुर के बीच कोई भी बसावट नहीं है। अभी वर्णित पथों के निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

पुल का निर्माण

ग्राम्य–15. **श्री दिनकर राम**—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बथनाहा विधान–सभा क्षेत्र के हरि वेला से सुपैना होकर परिहार जाने वाली रोड में अधवरा नदी पर पुल नहीं रहने से ग्रामीणों को आवागमन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त नदी पर पुल निर्माण कर आवागमन बहाल करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—वस्तुस्थिति यह है कि पथ को ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2013–14 में स्वीकृति प्रदान किया गया है। उक्त पथ के लिये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत पुल का प्रस्ताव भारत सरकार को स्वीकृति हेतु समर्पित किया जाना है। इसका परियोजना प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृति हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को समर्पित किया जायेगा।

पथ का जीर्णोद्धार

ग्राम्य–329. **श्री दिनकर राम**—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बथनाहा प्रखंड के पुरनहिया पैक्स भवन के सिंगरहिया, सैदपुर होते हुये सहियारा के पूरब तक तथा सोनबरसा प्रखंड के विशनपुर बाजार महावीर मंदिर से विशनपुर ग्राम होते हुये लोह प्रसारी तक एवं हनुमाननगर ग्राम से भलुआहां ग्राम से पश्चिम की ओर जाने वाली सड़क जर्जर रहने के कारण आवागमन बाधित है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त दोनों पथों का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्न तीन पथों से संबंधित है :–

(1) पुरनहिया पैक्स भवन के सिंगरहिया–सैदपुर होते हुये सहियारा के पूरब तक पथ—इस पथ की लम्बाई 6.0 कि0मी0 है। पथ आंशिक ईंटीकृत एवं पी0सी0सी0 है। इस पथ के मार्गरेखन में पड़ने वाले सभी बसावट पुरनहिया, सिंगरहिया, मिरजादपुर एवं सहियारा को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत निर्मित पथ से एकल सम्पर्कता प्राप्त होने के कारण इस पथ को किसी भी कोर नेटवर्क में सम्मिलित नहीं किया गया है।

(2) विशुनपुर बाजार हनुमान मंदिर से विशुनपुर ग्राम होते हुये लौह प्रसारी तक पथ---इस पथ की लम्बाई लगभग 2.0 कि0मी0 है। इस पथ के दोनों बसावटों विशनपुर एवं लौह प्रसारी को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत निर्मित पथ से एकल सम्पर्कता प्राप्त होने के कारण इस पथ को किसी भी कोर नेटवर्क में सम्मिलित नहीं किया गया है।

(3) हनुमान नगर ग्राम से भलुआहा ग्राम से पश्चिम की ओर जाने वाली पथ---इस पथ की लम्बाई 2.0 कि0मी0 है जो आंशिक कच्ची एवं ईंटीकृत है। इस पथ के दोनों बसावटों हनुमाननगर ग्राम एवं भलुआहा ग्राम को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत निर्मित पथ से एकल सम्पर्कता प्राप्त होने के कारण इस पथ को किसी भी नेटवर्क में सम्मिलित नहीं किया गया है।

अतः उक्त पथों के निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

सड़क को जोड़ना

ग्राम्य–238. श्री फैयाज अहमद---क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत विस्फी और रहिका प्रखंड में राज्य कोर नेटवर्क के तहत गाँव से पक्की सड़क को जोड़ने वाली छूटे हुये सड़कों के लिये वर्ष 2015–16 में कराये गये सर्वे का काम पूर्ण हो गया है जिसका रिपोर्ट ग्रामीण कार्य प्रमंडल, मधुबनी एवं बेनीपट्टी द्वारा सरकार को नहीं भेजा गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार ग्रामीण कार्य प्रमंडल, मधुबनी से सर्वे रिपोर्ट प्राप्त कर उक्त प्रखंड के छूटे सड़कों को सी0एन0पी0सी0एल0 की सूची में जोड़ने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री---वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्न दो प्रखंडों के पथों से संबंधित है :–

(1) विस्फी प्रखंड---मधुबनी जिला अन्तर्गत विस्फी प्रखंड में राज्य कोर नेटवर्क के तहत गाँव से पक्की सड़क को जोड़ने वाली छूटे हुये सड़कों में से वर्ष 2015–16 में 5 पथों का डी0पी0आर0 मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजनान्तर्गत माननीय विधायक के द्वारा अनुशंसा के आलोक में तैयार किया गया है जो निविदा की प्रक्रिया में है। ब्रिक्स योजनान्तर्गत कुल 25 पथों के सर्वे का कार्य पूर्ण हो गया है जिसका डी0पी0आर0 तैयार किया जा रहा है।

(2) रहिका प्रखंड---मधुबनी जिला अन्तर्गत रहिका प्रखंड में राज्य कोर नेटवर्क के तहत गाँव से पक्की सड़क को जोड़ने वाली छूटे हुये सड़कों में से वर्ष 2015–16 में 4 पथों का डी0पी0आर0 मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजनान्तर्गत माननीय विधायक के द्वारा अनुशंसा के आलोक में तैयार किया गया है जो निविदा की प्रक्रिया में है। ब्रिक्स योजनान्तर्गत कुल 19 पथों के सर्वे का कार्य पूर्ण हो गया है जिसका डी0पी0आर0 तैयार किया जा रहा है।

पूरे राज्य में पूर्व से तैयार राज्य कोर नेटवर्क में छूटे हुये/अचिह्नित टोलों अथवा बसावटों को सेटलाईट मैपींग की मदद से चिह्नित करने की कार्रवाई की जा रही है। इन अचिह्नित टोलों एवं बसावटों को चिह्नित करते हुये इन्हें बारहमासी सड़क सम्पर्कता प्रदान करते हुये Supplementry Core Network Map तैयार किया जायेगा।

सुरक्षा वॉल बनाना

ग्राम्य–335. **श्री फैसल रहमान**—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत ढाका प्रखंड में झौआराम से कुंडवा–चैनपुर पथ में झॉआरामपुर के समीप सड़क के किनारे पोखरा स्थित है किन्तु पोखर से कटाव के कारण वहाँ सड़क की चौड़ाई कम हो गयी है जिससे वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर पोखर में गिर जाती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पोखरा में सड़क के किनारे सुरक्षा वॉल बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि इस पथ की लम्बाई 7.[illegible] कि0मी0 है जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत दिनांक 2 फरवरी, 2010 को पूर्ण किया गया था जिसकी अनुरक्षण अवधि समाप्त हो चुकी है। इस पथ को अनुरक्षण हेतु श्रेणी–2 में सम्मिलित करने हेतु कार्रवाई की जा रही। पथ की मरम्मती के साथ प्रोटेक्शन वॉल के निर्माण का प्रावधान कर प्राक्कलन समर्पित करने हेतु संबंधित कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया जा रहा है।

निधि की उपलब्धता के आधार पर स्वीकृति के पश्चात् पथ की मरम्मती के साथ प्रोटेक्शन वॉल का निर्माण कार्य कराया जाना संभव हो सकेगा।

सड़क का चौड़ीकरण

पथ–85. **श्री फैयाज अहमद**—क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला मुख्यालय के कोतवाली चौक से रैयाम–औंसी, जीरो माईल, बिस्फी सड़क, पथ निर्माण विभाग की सड़क है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त सड़क सिंगल एवं जर्जर है जिसमें आम लोगों को आवागमन में असुविधा होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त सड़क का चौड़ीकरण कर निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) मधुबनी जिला मुख्यालय के कोतवाली चौक से रैयाम–औंसी, जीरो माईल, बिस्फी होते हुये कमतौल कोठी (SH-75) तक की पथ, पथ निर्माण विभाग के अधीन है।

(2) मधुबनी कोतवाली चौक से रैयाम तक की सड़क (लम्बाई 9.60 कि0मी0) इन्टरमीडिएट लेन की पथ है जो पथ प्रमंडल, मधुबनी के अधीन OPRMC (Long Term Output and Performance Based Road Assets Maintenacne Contract) के पैकेज सं0 12 में संधारण हेतु शामिल है। पथ Potless है एवं आवागमन हेतु सुलभ है। रैयाम से औंसी जीरो माईल पथ (लम्बाई 5 कि0मी0) सिंगल लेन है एवं पथ प्रमंडल, बेनीपुर के अधीन OPRMC के पैकेज सं0 16 में संधारण हेतु शामिल है। पथ की स्थिति अच्छी है।

औंसी, जीरो माईल से बिस्फी तक (लम्बाई 9.60 कि0मी0) पथ सिंगल लेन है जो पथ प्रमंडल, मधुबनी के अधीन OPRMC के पैकेज सं0 11 में संधारण हेतु शामिल है। पथ Potless एवं अच्छी स्थिति में है। बिस्फी से कमतौल तक का पथ पूर्व में ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन था जिसका पिछले वर्ष अधिग्रहण कर पथ निर्माण कराया गया है। पथ की स्थिति अच्छी है। इस पथांश में तीन उच्चस्तरीय पुल का निर्माण होना है। निविदा निष्पादन के पश्चात् पुल का निर्माण किया जाना है।

(3) वर्तमान में इस पथ के चौड़ीकरण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

सड़क का कालीकरण

ग्राम्य–110. श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत बाढ़ प्रखंड के शहरी सरमेरा–आर0सी0डी0 पथ में साध बाबा चौक से ग्राम–मददपुर होते हुये ग्वाला, शेखपुरा तक ग्रामीण सड़क का निर्माण दस वर्ष पूर्व हुआ था जो जर्जर हो गया है ;

(2) यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मती एवं कालीकरण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) आंशिक स्वीकारात्मक।

(2) वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ की लम्बाई 6.00 कि0मी0 है। यह पथ अनुरक्षण नीति के तहत श्रेणी–1 में शामिल नहीं है। यह किसी कोर नेटवर्क में भी शामिल नहीं है।

वर्तमान में इस पथ के निर्माण की कोई योजना सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

पथ का निर्माण

ग्राम्य–112. श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह—क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत बाढ़ प्रखंड के ग्राम–धनावाँ पुरबारी टोला में बिहार राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा गोगा नदी पर एक वर्ष पूर्व पुल का निर्माण कराया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त पुल के दोनों छोर को सम्पर्क पथ से नहीं जोड़ा गया है जिससे उक्त क्षेत्र की जनता उक्त पुल के उपयोग से वंचित हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त पुल के दोनों छोर को सम्पर्क पथ से जोड़ने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1), (2) एवं (3) पुल का निर्माण जून, 2014 में पूर्ण हुआ।

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0 द्वारा मुख्यमंत्री सेतु योजनान्तर्गत पटना जिला के बाढ़ प्रखंड के ग्राम–धनावाँ पुरबारी टोला में बाढ़ तरफ 95 मी0 एवं धनावाँ तरफ 77 मी0 पहुँच पथ का निर्माण करा दिया गया है।

सम्पर्क पथ के रूप में बाढ़ तरफ पहुँच पथ के बाद 720 मीटर कच्चा पथ एवं धनावाँ तरफ पहुँच पथ के बाद 920 मीटर कच्चा पथ है जो ग्रामीण कार्य विभाग का पथ है।

ग्रामीण कार्य विभाग से सम्पर्क पथ बनाने हेतु अनुरोध किया जा रहा है।

पथ का निर्माण

ग्राम्य–113. श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत पण्डारक प्रखंड के आर0डब्लू0डी0 पथ से मझला बिगहा प्राथमिक विद्यालय तक ग्रामीण पथ का निर्माण अबतक नहीं हुआ है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त पथ का निर्माण नहीं होने से कई पंचायत की जनता को प्रखंड मुख्यालय आने–जाने में काफी असुविधा हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त ग्रामीण पथ का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक।

(2) स्वीकारात्मक।

(3) वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ राज्य कोर नेटवर्क के सी0यू0पी0एल0 के क्रमांक–1 पर सम्मिलित है। यह पथ ब्रिक्स बैंक अन्तर्गत निर्माण हेतु प्रस्तावित है।

स्वीकृत्योपरान्त अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सकेगी।

पथ का निर्माण

पथ–103. श्री गुलाब यादव—क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला के झंझारपुर प्रखंड के एन0एच0 52 में मेहथ ढ़लान से एन0एच0आई0 57 को जोड़ने वाली पथ में निर्माण कार्य दो वर्षों से बंद है जबकि यह पथ झंझारपुर से मधुबनी को जोड़ती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पथ का निर्माण कार्य प्रारंभ कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि एस0एच0 52 में मेहथ ढ़लान से एन0एच0 57 को जोड़ने वाली पथ में संबंधित पथ प्रमंडल द्वारा कराया जा रहा कार्य भू–अर्जन की कार्रवाई अपूर्ण रहने के कारण पूरा नहीं हो सका। माह नवम्बर, 2014 में एन0एच0 105 पर अवस्थित पोखरौनी से मधुबनी, रामपट्टी, मेहथ होते हुये एन0एच0 57 पर अवस्थित झंझारपुर तक एन0एच0 527ए के रूप में घोषित किया जा चुका है जिसमें प्रश्नगत पथांश भी सम्मिलित है। एन0एच0 527ए के 2 लेन विथ पेम्ड सोल्डर के रूप में उन्नयन हेतु डी0पी0आर0 तैयार कर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को इस वित्तीय वर्ष में समर्पित है। स्वीकृति प्राप्त होने के बाद अग्रेत्तर कार्रवाई की जाती है।

कार्रवाई करना

पथ–124. श्री गिरधारी यादव—क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बाँका जिलान्तर्गत पथ निर्माण विभाग की दर्दमारा–सुल्तानगंज सड़क निर्माणाधीन है परन्तु प्राक्कलन की विशिष्टियों के अनुरूप निर्माण नहीं होने से सड़क बनने के साथ ही टूटती भी जा रही है, यदि हाँ, तो क्या सरकार प्राक्कलन की विशिष्टियों का पालन नहीं करने की जाँच कराकर दोषियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—पथ प्रमंडल, बाँका अन्तर्गत सुल्तानगंज–तारापुर–बेलहर–कटोरिया–दर्दमारा पथ के लगभग 57 कि0मी0 लम्बाई में CMBD (Construction & Maintanance Bidding Doucment) योजना के अन्तर्गत कार्य कराया जा रहा है। कार्य प्राक्कलन में प्रावधानित विशिष्टियों के अनुरूप कराया जा रहा है। निर्मित पथांश की स्थिति अच्छी है। प्रावधानित विशिष्टियों के संबंध में अधीक्षण अभियंता, पूर्व बिहार अंचल, भागलपुर को जाँच करने का आदेश दिया गया है।

पदाधिकारी पर कार्रवाई

सामु–9. श्रीमती गायत्री देवी—क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के सोनबरसा प्रखंड अन्तर्गत मलुआहा ग्राम में वर्ष 2013–14 में इंदिरा आवास योजना से बलकेशिया देवी, पति भीखारी पासवान, मितलीसीया देवी, पति विनोद पासवान, जसोधा देवी, पति राजेन्द्र पासवान, पूनम देवी, पति फेकन पासवान को इंदिरा आवास बनाने की स्वीकृति मिली थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि लाभुकों द्वारा इंदिरा आवास बनाने के बाद आर0टी0पी0एस0 में भी आवेदन देकर छः माह पूर्व द्वितीय किश्त की माँग करने के बावजूद अबतक राशि का भुगतान नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त लाभुकों को द्वितीय किश्त दिलाने एवं विलम्ब के लिये जिम्मेवार पदाधिकारी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि सोनबरसा प्रखंड अन्तर्गत मलुआहा ग्राम के बलकेसिया देवी, पति भीखारी पासवान, मितलीसीया देवी, पति विनोद पासवान, जशोधा देवी, पति राजेन्द्र पासवान को वित्तीय वर्ष 2012–13 में इंदिरा आवास का लाभ दिया गया है। पूनम देवी, पति फेकन पासवान को वर्ष 2013–14 में इंदिरा आवास का लाभ दिया गया है।

(2) अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि पूनम देवी, पति फेकन पासवान को छोड़कर सभी लाभुकों को सभी किश्तों का भुगतान किया जा चुका है। पूनम देवी, पति फेकन पासवान द्वारा शौचालय का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किये जाने के कारण तृतीय किश्त का भुगतान अवरुद्ध है।

वित्तीय वर्ष 2013–14 के लाभुकों को सम्पूर्ण सहायता राशि का भुगतान तीन किश्तों में किया जाता है जिसमें तृतीय/अंतिम किश्त 15 हजार रुपये का भुगतान लाभुकों को अनिवार्य रूप से शौचालय निर्माण के पश्चात् ही किया जाता है। लाभार्थी द्वारा शौचालय निर्माण कार्य पूर्ण कर लिये जाने के पश्चात् अंतिम किश्त का भुगतान किया जा सकेगा।

(3) उपर्युक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

सड़क का पुनर्निर्माण

ग्राम्य–128. श्रीमती गायत्री देवी—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के परिहार प्रखंड अन्तर्गत धनहा पंचायत के निवारी टोल से धनहा होते हुये राजपूत चौक तक वर्ष 2014–15 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से सड़क का निर्माण हुआ था ;

(2) क्या यह बात सही है कि धनहा ग्राम में पोखर के कटाव से 700 फीट सड़क कट जाने से आवागमन बाधित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार धनहा ग्राम में पोखर किनारे प्रोटेक्शन वॉल बनाकर सड़क पुनर्निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक है।

(2) आंशिक स्वीकारात्मक है।

(3) वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ का निर्माण पी0एम0जी0एस0वाई0 योजना से कराया जा रहा है। धनहा ग्राम में निजी जमीन विवाद एवं पोखर के कारण 115 मीटर लम्बाई में पथ निर्माण कार्य बाधित है। अंचलाधिकारी से सीमांकन करा लिया गया है। पथ का आरेखन के आंशिक भाग में रैयती जमीन होने के कारण पोखर के नजदीक प्रोटेक्शन वॉल का प्रावधान कर पुनरीक्षित प्राक्कलन समर्पित करने का निदेश दिया गया है।

सड़क का निर्माण

ग्राम्य–45. श्रीमती गायत्री देवी—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के परिहार प्रखंड अन्तर्गत बधुआरा पंचायत में दुबे टोला महादलितों की बस्ती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि आजतक दुबे टोला को सड़क से नहीं जोड़ा गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार दुबे टोला महादलित बस्ती को सड़क से जोड़ने के लिये पक्की सड़क का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक है।

(2) अस्वीकारात्मक है।

(3) वस्तुस्थिति यह है कि दुबे टोला को परवाहा–लालबन्दी पी0डब्लू0डी0 पथ से बंजरही पी0एम0जी0एस0वाई0 पथ से सम्पर्कता प्राप्त है। दुबे टोला इस पथ के तीसरे कि0मी0 पर अवस्थित है।

सम्पर्क पथ से जोड़ना

ग्राम्य–295. श्रीमती गायत्री देवी—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि सभी महादलित टोलों को सम्पर्क पथ से जोड़ने का निदेश 2008–09 में सरकार द्वारा दिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के सोनबरसा प्रखंड के भलुआहा, विशनपुर, आधार पंचायतों में 2008 से अबतक एक भी महादलित टोले को सम्पर्क पथ से नहीं जोड़ा गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त महादलित टोलों को सम्पर्क पथ से जोड़ना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री——(1) स्वीकारात्मक है।

(2) आंशिक स्वीकारात्मक है।

(3) वस्तुस्थिति यह है कि सोनबरसा प्रखंड के भलुआहा एवं विशनपुर आधार पंचायत में स्थित बसावटों/टोलों यथा भुलआहा, परसा खुर्द, मुसहरनिया, विशनपुर आंधार, बरियारपुर को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत निर्मित पथों से सम्पर्कता प्रदान की गयी है। वर्तमान में चैनपुर महादलित टोला को जोड़ने वाली दोनों पथ मुसहरनिया से चैनपुर एवं चैनपुर से लड़कवा पथ पक्की नहीं है। विशनपुर आधार पंचायत में विशनपुर आधार, गाँव से महादलित टोला तक पथ पक्की नहीं है।

पूरे राज्य में पूर्व से तैयार राज्य कोर नेटवर्क में छूटे हुये/अचिह्नित टोलों अथवा बसावटों को सेटलाईट मैपींग की मदद से चिह्नित करने की कार्रवाई की जा रही है। इन अचिह्नित टोलों एवं बसावटों को चिह्नित करते हुये इन्हें बारहमासी सड़क सम्पर्कता प्रदान करने हेतु Supplementry Core Network Map तैयार किया जायेगा।

सड़क का पक्कीकरण

ग्राम्य-127. श्रीमती गुलजार देवी——क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत मधेपुर प्रखंड स्थित मैट्रस एवं कबछुआ पुनर्वास के वाशिन्दों को कोसी बाँध पर आने-जाने के लिये 1 कि0मी0 कच्ची सड़क है जिससे वहाँ के निवासियों को बरसात के मौसम में घर से निकलने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त बसावटों को राज्य कोर नेटवर्क में सम्मिलित कर कच्ची सड़क का पक्कीकरण कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री——वस्तुस्थिति यह है कि मधुबनी जिलान्तर्गत मधेपुर प्रखंड स्थित मैट्रस एवं कबछुआ पुनर्वास के वाशिन्दों को कोसी बाँध पर आने-जाने के लिये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से तारडीहा कोसी बाँध से मैट्रस पथ स्वीकृत है। इस पथ की लम्बाई 1.33 कि0मी0 है। संवेदक द्वारा मिट्टी एवं पुलिया का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। जी0एस0बी0 कार्य प्रगति में है। कार्य में विलम्ब के लिये संवेदक के विपत्र से 10 प्रतिशत की राशि की कटौती की जा रही है। कार्य की प्रगति हेतु संवेदक को नोटिस दिया गया है एवं अक्टूबर, 2016 तक कार्य पूर्ण कराने का लक्ष्य है।

पथ का जीर्णोद्धार

ग्राम्य-28. श्री हरिनारायण सिंह——क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि——

(1) क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिलान्तर्गत ग्रामीण कार्य प्रमंडल, हरनौत के चण्डी, सोहसराय लोक निर्माण पथ से ग्राम-शेखपुरा के एन0एच0 30ए तक जिसकी लम्बाई लगभग दस कि0मी0 है जो जर्जर स्थिति में है जिससे लगभग बीस हजार आबादी को आवागमन में कठिनाई होती है ;

(2) यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पथ का जीर्णोद्धार कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) आंशिक स्वीकारात्मक।

(2) वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ की लम्बाई 8.10 कि0मी0 है जो नई अनुरक्षण नीति के तहत श्रेणी–1 पथों की वित्तीय वर्ष 2015–16 की सूची में सम्मिलित है।

प्राथमिकता क्रमानुसार एवं संसाधन की उपलब्धता के आधार पर पथ की मरम्मती करायी जा सकेगी।

पथ का जीर्णोद्धार

ग्राम्य–29. श्री हरिनारायण सिंह—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिलान्तर्गत ग्रामीण कार्य प्रमंडल, हरनौत के हरनौत प्रखंड अन्तर्गत ग्रामीण कार्य पथ, बोधनगर से चौरिया तक जिसकी लम्बाई लगभग दो कि0मी0 एवं नोनावाँ, निजाय लोक निर्माण पथ से संदलपुर तक लगभग डेढ़ कि0मी0 पथ जर्जर है जिससे आम लोगों को आवागमन में कठिनाई होती है ;

(2) यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पथ का जीर्णोद्धार कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) आंशिक स्वीकारात्मक।

(2) वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ (बोधनगर से चौरिया) की लम्बाई 2.00 कि0मी0 है जिसमें 1.00 कि0मी0 पथांश की मरम्मती करा दी गई है तथा गोनावां–निजाय पथ से संदलपुर पथ की लम्बाई 1.50 कि0मी0 है।

यह पथ किसी कोर नेटवर्क में सम्मिलित नहीं है। वर्तमान में इन पथों की मरम्मती का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

पथ का निर्माण

पथ–41. श्री हरिनारायण सिंह—क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिलान्तर्गत पथ प्रमंडल, हिलसा के चण्डी प्रखंड के चण्डी–सोहसराय पी0डब्लू0डी0 पथ के जैतीपुर से नूरसराय–हिलसा पी0डब्लू0डी0 पथ के राजाबाद तक लगभग तेरह कि0मी0 लम्बी सड़क ग्रामीण कार्य विभाग का है जिसकी स्थिति जर्जर है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त ग्रामीण कार्य विभाग के पथ को पथ निर्माण विभाग में अधिग्रहण कर निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—प्रश्नाधीन पथ ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन है। पथ के अधिग्रहण हेतु पथ के ROW (Right of Way), Traffic Density, Feasibility Report, निधि की उपलब्धता एवं पथ की उपयोगिता इत्यादि के आधार पर निर्णय लिया जाता है।

इस पथ का अधिग्रहण वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

आवागमन बहाल करना

सामु–16. श्री जयवर्धन यादव––क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि––

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिला के दुलहीन बाजार प्रखंड में दुलहीन बाजार–डिहुली पथ स्थित ग्राम–नरही में पानी का निकासी विगत तीन वर्षों से डिहुली पथ पर किया जा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि नाली के पानी का निकासी सड़क पर होने से सड़क गड्ढ़ों में तब्दील हो गया है और जगह–जगह कीचड़ एवं जल–जमाव सालो भर रहता है जिससे पाँच पंचायत के लोगों का आवागमन अवरुद्ध है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नाली का निर्माण कर जल–जमाव से मुक्त कराते हुये दुलहीन बाजार–डिहुली पथ पर आवागमन बहाल कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री––(1) स्वीकारात्मक है।

(2) अस्वीकारात्मक है।

(3) वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ श्रेणी–1 के अन्तर्गत है जिसकी लम्बाई 6.28 कि0मी0 है। इस पथ का निर्माण 3054 मरम्मती योजनान्तर्गत किया जा रहा है। एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि 2 सितम्बर, 2016 है। यह पथ प्रखंड मुख्यालय दुलहीन बाजार से डिहुली तक जाती है तथा नरही ग्राम के बीच से गुजरती है। नरही ग्राम के पथांश में पथ के दोनों ओर सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं रहने के कारण पथ के प्राक्कलन में नाली निर्माण का प्रावधान नहीं है। ग्रामीणों द्वारा सड़क पर ही घरेलू नाली की निकासी के कारण जल–जमाव से आवागमन में थोड़ी कठिनाई होती है। उक्त पथ में नाली निर्माण की कोई योजना सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

सड़क का पक्कीकरण

ग्राम्य–235. श्री जयवर्धन यादव––क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि––

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिला के पालीगंज प्रखंड अन्तर्गत पाली–किंजर पथ से नेरियाँ होकर मोहन बिघा तक कच्ची सड़क विगत 3 वर्षों से जीर्ण–शीर्ण है जिससे बरसात के दिनों में उक्त सड़क पर पानी लग जाता है और ग्रामीणों को आने–जाने में कठिनाई होती है ;

(2) यदि हाँ, तो सरकार कबतक पाली–किंजर पथ से नेरिया होकर मोहन विद्यालय तक कच्ची सड़क का पक्कीकरण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री––(1) आंशिक स्वीकारात्मक ।

(2) वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ की कुल लम्बाई 4.00 कि0मी0 है जिसका प्रथम 3.00 कि0मी0 लम्बा पथांश पाली–किंजर पथ से नेरिया ग्राम तक पथ (3.875 कि0मी0) के मार्गरेखन पर पड़ता है। इस पथ का डी0पी0आर0 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत भारत सरकार को वर्ष 2014–15 में प्रस्तावित किया गया था जिसमें कुछ बिन्दुओं पर भारत सरकार द्वारा आपत्ति की गयी है जिसका निराकरण किया जा रहा है।

प्रश्नाधीन पथ का शेष 1.00 कि0मी0 लम्बा पथांश किसी कोर नेटवर्क में आरेखित नहीं है। मोहन बिगहा गाँव का उल्लेख एन0एच0एस0 डाटा में भी नहीं है। यह नेरिया गाँव का ही एक टोला है। राज्य कोर नेटवर्क में छूटे हुये बसावटों का सर्वेक्षण कराया जा रहा है यदि यह बसावट सर्वेक्षण में सम्पर्कता योग्य पाया जाता है तो तद्नुसार अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी।

भारत सरकार से स्वीकृत्योपरान्त पाली–किंजर पथ से नेरिया पथ का निर्माण किया जा सकेगा।

पुल का निर्माण

प्रश्न–358. श्री जयवर्धन यादव—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिला के पालीगंज प्रखंड अन्तर्गत पाली–किजर पथ से करौती तक कच्ची सड़क जो कोठियापुर होते जहानाबाद जिला को जोड़ती है विगत दो वर्षों से जर्जर है और ग्राम-करौती से कोठियापुर तक सड़क के बीच 40 फीट का छोटा नहर है जिसपर पुल नहीं रहने के कारण ग्रामीणों को जहानाबाद जिला मुख्यालय जाने के लिये 5 कि0मी0 की दूरी घुमकर जाना पड़ता है;

(2) यदि हाँ, तो क्या सरकार करौती से गोठियापुर तक नहर में पुल का निर्माण कराते हुये उक्त जर्जर कच्ची सड़क का पक्कीकरण कराने को विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) आंशिक स्वीकारात्मक है।

(2) वस्तुस्थिति यह है कि पालीगंज प्रखंड अन्तर्गत पाली–किंजर पथ से करौती तक पक्की सड़क बना हुआ है। करौती से कोठियापुर तक पथ की लम्बाई 2.00 कि0मी0 है जो किसी कोर नेटवर्क में शामिल नहीं है।

करौती से कोठियापुर होते हुये किन्दुई पथ में 30 मी0 चौड़ी नदी है जिसपर पुल निर्मित नहीं है। इसके अप स्ट्रीम में मात्र 2.00 कि0मी0 की दूरी पर पुल अवस्थित है।

इस पथ एवं पुल के निर्माण की कोई योजना सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

प्राक्कलन के अनुरूप करना

त–1. डॉ0 (मो0) जावेद—क्या मंत्री, योजना एवं विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला के पोठिया प्रखंड मुख्यालय में किसान भवन का निर्माण किया जा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त भवन निर्माण कार्य मानक के अनुरूप नहीं कर लोकल बालू, दो नम्बर ईंट, कम अनुपात में सीमेंट का उपयोग किया जा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इसकी जाँच कराकर विभाग एवं एजेंसी पर उचित कार्रवाई करते हुये भवन निर्माण कार्य को प्राक्कलन के अनुरूप कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक है।

(2) अस्वीकारात्मक है। कृत्त कार्य में प्रयुक्त ईट, बालू एवं चीप्स की गुणवत्ता की जाँच के साथ ही ढलाई कार्य के क्यूब की भी जाँच करायी गई है। जाँचफल संतोषजनक है।

(3) कंडिका (2) के उत्तर के आलोक में प्रश्न ही नहीं उठता है।

सड़क की मरम्मती

ग्राम्य–46. श्री जर्नादन मांझी—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बाँका जिलान्तर्गत शम्भूगंज प्रखंड के किरनपुर पथ जो पाँच वर्ष पूर्व बना था जर्जर होकर गड्ढे में तब्दील हो गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मती कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ मिर्जापुर–किरणपुर पथ से पहलानपुर पथ के नाम से एन0बी0सी0सी0 द्वारा 31 मार्च, 2010 को पूर्ण किया गया था तथा अनुरक्षण अवधि दिनांक 31 मार्च, 2015 को समाप्त हो चुकी है। उक्त पथ की लम्बाई 4.65 कि0मी0 है। निधि की उपलब्धता के आधार पर प्राथमिकतानुसार पथ का मरम्मती किया जाना संभव हो सकेगा।

संवेदक पर कार्रवाई

ग्राम्य–158. श्री जितेन्द्र कुमार—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिला के बिन्द एवं अस्थावाँ प्रखंड के धाय पिपल के पास सोयवा एवं जिराईन नदी के संगम पर पुल मुख्यमंत्री सेतु योजना के अन्तर्गत वर्ष 2015 में पूर्ण कराया गया है जो प्राक्कलन के मुताबिक नहीं होने के कारण पुल की स्थिति दयनीय हो गयी है ;

(2) यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त वर्णित निर्मित पुल की उच्चस्तरीय जाँच कराते हुये संबंधित पदाधिकारियों एवं संवेदक पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) आंशिक स्वीकारात्मक।

(2) वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पुल के निर्माण कार्य का विस्तृत जाँच कर एक सप्ताह के अन्दर समर्पित करने का निदेश अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, नालन्दा को दिया गया है। जाँच प्रतिवेदन के आधार पर अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी।

संवेदक पर कार्रवाई

ग्राम्य–283. श्री जितेन्द्र कुमार—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिलान्तर्गत कतरीसराय प्रखंड के ग्राम–तरौनी के लिये वित्तीय वर्ष 2013–14 में मुख्यमंत्री सड़क निर्माण हेतु निविदा आमंत्रित की गई थी किन्तु तीन वर्ष पूर्व निविदा के आलोक में संवेदक को कार्य आवंटित होने के पश्चात् आजतक मुख्यमंत्री सड़क निर्माण का कार्यारंभ नहीं किया गया है ;

(2) यदि हाँ, तो सरकार इसमें लापरवाही बरतने वाले संबंधित अभियंता एवं संवेदक पर कार्रवाई करते हुये इसका कार्य प्रारंभ कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक है।

(2) वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ की लम्बाई 0.96 कि0मी0 है जिसका एकरारनामा संख्या 14/SBD/2013-14 है। एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि [illegible] नवम्बर, 2014 थी। इस पथ के मार्गरेखन में भूमि की चौड़ाई कम होने के कारण ग्रामीणों द्वारा निर्माण कार्य बाधित किया गया था।

प्रर्याप्त चौड़ाई नहीं रहने के बावजूद संबंधित अभियंताओं द्वारा पथ की स्वीकृति प्राप्त करने एवं एकरारनामा सम्पादित करने के कारणों की जाँच के लिये अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, गया को मुख्य अभियंता–1, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना के पत्रांक 913 अनु0, दिनांक 1[illegible] मार्च, 2016 द्वारा आदेश दिया गया है।

जाँच प्रतिवेदन के आलोक में अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सकेगी।

पथ का कार्यारंभ

पथ–97. श्री जितेन्द्र कुमार—क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नालंदा जिलान्तर्गत अस्थावाँ प्रखंड के ग्राम–सोसवापर से निजामपुरा–माफी होते पेड़का के आगे तक पथ का अधिग्रहण वित्तीय वर्ष 2014–15 में पी0डब्लू0डी0 में किये गये हैं लेकिन आजतक उक्त पथ का कार्यारम्भ नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त पथ का कार्यारम्भ करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—वर्ष 2012 में ग्रामीण कार्य विभाग से अधिगृहित नालन्दा जिलान्तर्गत सोसवापर से निजामपुरा, माफी होते हुये पेड़का के आगे (कतरीसराय) तक की कुल लम्बाई 12 कि0मी0 है तथा चौड़ाई 3.05 मी0 (10 फीट) है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में गैर–योजना मद से पथ की मरम्मती (कि0मी0 0 से 5 तक) कराया गया। पथ में आवागमन चालू है।

अवैध कब्जा पर कार्रवाई

गृह–171. श्रीमती कुन्ती देवी—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत अतरी विधान–सभा क्षेत्र के चारों प्रखंडों में सांसद, विधायक अथवा पंचायत मद द्वारा निर्मित सामुदायिक भवन जैसी नीमचक बथानी प्रखंड के ग्राम–सरौंजी का मो0 उस्मान खाँ, खिजरसराय प्रखंड के रमन बिगहा का कपिल यादव, नीमचक बथानी प्रखंड के भूपेशनगर में चौंदों राजवंशी द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त सामुदायिक भवनों को अवैध कब्जा से मुक्त कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि—

(1) **सामुदायिक विकास भवन, सरौजी**—प्रखंड नीमचक बथानी अन्तर्गत इस सामुदायिक भवन की जाँच के क्रम में भवन के दरवाजे पर मो0 उस्मान खाँ के द्वारा चौकी आदि लगा हुआ पाया गया जिसे उसी समय हटाते हुये अतिक्रमण मुक्त कर दिया गया। साथ ही सामुदायिक भवन को अतिक्रमण मुक्त रखने हेतु इसकी चाभी पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत–नैली को हस्तगत करा दी गई है। वर्तमान में इस भवन में कोई अतिक्रमण नहीं है।

(2) **सामुदायिक विकास भवन, रमन बिगहा**—प्रखंड खिजरसराय स्थित यह सामुदायिक विकास भवन वर्ष 2014–15 में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत ली गई है। उक्त योजना से छत ढलाई का कार्य पूर्ण हो चुका है। कार्यपालक अभियंता, LAE0-I द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस योजना को दिनांक 30 अप्रील, 2016 तक पूर्ण करा दिया जायेगा। वर्तमान में इस निर्माणाधीन सामुदायिक भवन में कोई अतिक्रमण नहीं है।

(3) **सामुदायिक विकास भवन, भूपेशनगर**—प्रखंड नीमचक बथानी अन्तर्गत निर्मित यह सामुदायिक विकास भवन वर्ष 1994 की योजना से निर्मित है। चाँदो राजवंशी के द्वारा उक्त भवन में कोई अतिक्रमण किया हुआ नहीं पाया गया। उल्लेखनीय है कि सामुदायिक विकास भवन में दो कमरे तथा एक बरामदा है जिसके एक कमरे में वर्ष 2011 से प्राथमिक विद्यालय, भूपेशनगर संचालित हो रहा है तथा दूसरे कमरे में वर्ष 2013 से आँगनबाड़ी केन्द्र सं0 90 संचालित हो रहा है। स्थानीय जाँच के क्रम में उक्त भवन वर्तमान में अतिक्रमण मुक्त है।

संवेदक पर कार्रवाई

ग्राम्य–268. श्रीमती कुन्ती देवी—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिला के बथानी–सिमरौर पथ की मरम्मती कार्य के महीना बाद ही कालीकरण उखड़ रहा है ;

(2) यदि हाँ, तो क्या सरकार प्राक्कलन के अनुसार कार्य की गुणवत्ता की जाँच कराकर संवेदक पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) अस्वीकारात्मक।

(2) वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ की लम्बाई 7.62 कि0मी0 है। नई अनुरक्षण नीति के तहत श्रेणी–1 अन्तर्गत इस पथ की मरम्मती का कार्य प्रगति पर है। एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि 7 अप्रील, 2016 है।

उक्त पथ की मरम्मती कार्य की गुणवत्ता की जाँच एक सप्ताह के अन्दर करने एवं जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, गया को दिया गया है। तदुपरान्त अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सकेगी।

सड़क का निर्माण

ग्राम्य–111. श्री कुमार सर्वजीत—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत फतेहपुर प्रखंड के ग्राम–पहाड़पुर में प्रभु पासवान के घर से गोपाल केड़ा होते हुये खुटकट तक सड़क नहीं है जिससे आम जनता को आवागमन में कठिनाई होती है ;

(2) यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर सड़क निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) आंशिक स्वीकारात्मक ।

(2) वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ कच्ची सड़क के रूप में है। यह पथ राज्य कोर नेटवर्क के सी0एन0सी0पी0एल0 के क्रमांक–1 पर सम्मिलित है जिसका सम्पर्क संख्या एस0 86 है एवं लम्बाई 3.0 कि0मी0 है।

प्राथमिकता क्रमानुसार एवं संसाधन की उपलब्धता के अनुसार पथ का निर्माण किया जा सकेगा।

सड़क का निर्माण

ग्राम्य–114. श्री कुमार सर्वजीत—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत फतेहपुर प्रखंड के गुरूपा मुख्य सड़क से होते हुये कौड़िया ग्राम तक सड़क नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त स्थान पर सड़क नहीं होने से आम जनता को आवागमन में कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर सड़क निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) आंशिक स्वीकारात्मक।

(2) आंशिक स्वीकारात्मक।

(3) वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ कच्ची सड़क के रूप में अवस्थित है जो राज्य कोर नेटवर्क के सी0एन0सी0पी0एल0 के क्रमांक–7 पर सम्मिलित है एवं इसका सम्पर्क संख्या एस0 12 है तथा लम्बाई 2.25 कि0मी0 है।

प्राथमिकता क्रमानुसार एवं संसाधन की उपलब्धता के अनुसार पथ का निर्माण किया जा सकेगा।

पुल का निर्माण

पथ–21. श्री कुमार सर्वजीत—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत फतेहपुर प्रखंड के बहेरी घाट नदी के ग्राम–मोरचक, सुराग के सामने पुल नहीं होने के कारण जनता का जिला मुख्यालय में पहुँचने में कठिनाई होती है ;

(2) यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर पुल का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) आंशिक स्वीकारात्मक।

(2) वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पुल स्थल के दोनों तरफ ग्रामीण कार्य विभाग की पक्की सड़क अवस्थित नहीं है तथा इसके अप स्ट्रीम एवं डाउन स्ट्रीम में 5–5 कि0मी0 की दूरी पर पुल अवस्थित है।

इस पुल के निर्माण की कोई योजना सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

पुल का निर्माण

पथ–22. श्री कुमार सर्वजीत—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत फतेहपुर प्रखंड के ढाढर नदी के यशपुर गाँव के सामने पुल नहीं होने के कारण आम जनता को प्रखंड मुख्यालय में पहुँचने में कठिनाई होती है ;

(2) यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पुल का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) अस्वीकारात्मक।

(2) वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पुल स्थल के अप स्ट्रीम एवं डाउन स्ट्रीम में 6–6 कि0मी0 की दूरी पर पुल अवस्थित है तथा इस पुल स्थल के दोनों तरफ ग्रामीण कार्य विभाग की पक्की सड़क निर्मित नहीं है।

इस पुल के निर्माण की कोई योजना सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

पुल का निर्माण

पथ–32. श्री कुमार सर्वजीत—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत फतेहपुर प्रखंड में पैमार नदी के ग्राम–गणीपिपरा के सामने पुल नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त स्थान पर पुल नहीं होने के कारण आम जनता को जिला मुख्यालय में पहुँचने में कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर पुल का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक।

(2) आंशिक स्वीकारात्मक।

(3) वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पुल स्थल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत निर्माणाधीन पथ, लखैपुर से पहाड़पुर पथ के छट्ठे कि0मी0 में अवस्थित है। उक्त पथ की लम्बाई 12.35 कि0मी0 है। उक्त स्थल पर पैमार नदी की चौड़ाई 60.00 मीटर है जिसका परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है। इसपर ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् कार्य कराया जा सकेगा।

पुल का निर्माण

पथ–33. श्री कुमार सर्वजीत—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत फतेहपुर प्रखंड में ढाढर नदी के कोडिया घाट पर पुल नहीं होने के कारण आम जनता को जिला मुख्यालय में पहुँचने में कठिनाई होती है ;

(2) यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर कबतक पुल का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) आंशिक स्वीकारात्मक।

(2) वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पुल स्थल के दोनों तरफ ग्रामीण कार्य विभाग की पक्की सड़क निर्मित नहीं है।

वर्तमान में इस पुल के निर्माण की योजना सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

पथ का जीर्णोद्धार

पथ–30. श्री कृष्ण कुमार ऋषि—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत बनमंखी प्रखंड के एन0एच0 107 हदय नगर चौक से रसाढ़ जाने वाली पथ विगत 5 वर्षों से जर्जर होने के कारण आम जनता को आवागमन में कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पथ का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ एन0एच0 107 धरहरा से रसाढ़ के नाम से पी0एम0जी0एस0वाई0 योजना अन्तर्गत केन्द्रीय एजेंसी एन0बी0सी0सी0 द्वारा बनाया गया है। इसकी लम्बाई 5.75 कि0मी0 है। इसकी कार्य समाप्ति की तिथि 31 जनवरी, 2009 थी। यह पथ अनुरक्षण हेतु श्रेणी–II में कार्य प्रमंडल, पूर्णियाँ के प्राथमिकता सूची के क्रमांक–3 पर अंकित है। निधि की उपलब्धतानुसार प्राथमिकता के आधार पर इसका निर्माण कराया जाना संभव हो सकेगा।

पथ का जीर्णोद्धार

पथ–213. श्री कृष्ण कुमार ऋषि—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत बनमंखी प्रखंड के एन0एच0 107 खुटहरी चौक से पीपरा होते हुये चकमका तक पथ विगत 5 वर्षों से जर्जर है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पथ का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ एन0एच0 107 मोहनिया से अररिया सीमा तक भाया धुव विलासपुर के नाम से पी0एम0जी0एस0वाई0 अन्तर्गत एन0बी0सी0सी0 द्वारा बनाया गया था। उक्त पथ श्रेणी–I में सम्मिलित है। निधि की उपलब्धता के आधार पर प्राथमिकतानुसार इसका मरम्मती किया जा सकेगा।

पथ का निर्माण

ग्राम्य–159. श्री केदारनाथ सिंह—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत नागरा–चेतन–छपरा पथ भाया पैगम्बरपुर–खाकी–मठिया सड़क जर्जर है जिससे आम लोगों को आवागमन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पथ का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—नागरा से चेतन–छपरा पथ लगभग 3 वर्ष पूर्व ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग में हस्तांतरित हुआ था। हस्तान्तरण के बाद पथ का निर्माण नहीं कराया जा सका है इसलिये पथ क्षतिग्रस्त है। इस पथ को वर्ष 2016–17 की कार्य योजना में शामिल कर निर्माण कराने की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है।

पैगम्बरपुर–खाकी–मठिया पथ, पथ निर्माण विभाग के अधीन नहीं है। यह पथ ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन है।

पथ का निर्माण

ग्राम्य–224. श्री केदार प्रसाद गुप्ता—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला के कुढ़नी प्रखंड अन्तर्गत बलोरडिह से केशोपुर पथ जर्जर है जो अनुरक्षण हेतु श्रेणी–1 में प्रस्तावित है जो कुढ़नी रेलवे स्टेशन, कुढ़नी थाना, कुढ़नी बाजार, कुढ़नी सी0एच0सी0 एवं एन0एच0 77 को जोड़ती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पथ को बनवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—स्वीकारात्मक। डी0पी0आर0 प्राप्त हो गया है, अग्रेत्तर कार्रवाई प्रस्तावित है।

गोलम्बर का निर्माण

पथ–112. श्री केदार प्रसाद गुप्ता—क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला में सदर थाना अन्तर्गत गोबरसही चौक पर चौराहा है जो मुजफ्फरपुर शहर, समस्तीपुर, हाजीपुर एवं मोतिहारी रोड को जोड़ती है, काफी व्यस्त है एवं उक्त स्थान पर गोलम्बर न होने के कारण आये दिन दुर्घटनाएँ होती रहती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त चौराहा पर गोलम्बर बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—वस्तुस्थिति यह है कि मुजफ्फरपुर से बरौनी तक एन0एच0 28 के 2 लेन विथ पेव्ड सोल्डर में चौड़ीकरण का कार्य NHAI के द्वारा कराया जा रहा है। NHAI द्वारा बताया गया है कि मुजफ्फरपुर के गोबरसही चौक पर गोलम्बर निर्माण कराने का प्रावधान नहीं है। इस स्थान पर सर्विस लेन के साथ Junction Improvement का कार्य कराया जाना प्रस्तावित है जिसमें सड़क सुरक्षा के आवश्यक प्रावधान किये जाने हैं।

सड़क का पुनर्निर्माण

ग्राम्य–220. श्री लक्ष्मेश्वर राय—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत खुटौना प्रखंड मुख्यालय से लदनियाँ प्रखंड के बरोड़ियाही, गजहरा तक जाने वाली सड़क जर्जर है ;

(2) क्या यह बात सही है कि यह सड़क दो प्रखंड एवं दो विधान–सभा क्षेत्र क्रमशः लौकहा एवं बाबूबरही को जोड़ती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त सड़क का पुनर्निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक है।

(2) स्वीकारात्मक है।

(3) वस्तुस्थिति यह है कि इस पथ की लम्बाई 4.50 कि0मी0 है जो आंशिक कच्ची एवं ईंटीकृत है। यह पथ स्टेट कोर नेटवर्क के CNCPL (Comprehensive New Connectivity Priority List) के क्रमांक–144 पर अंकित है। इस पथ का सर्वेक्षण कार्य प्रगति में है।

प्रोटेक्शन वॉल बनाना

ग्राम्य–338. श्री ललित कुमार यादव—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिलान्तर्गत प्रधानमंत्री सड़क योजनान्तर्गत एन0एच0 57 से फजिला तक एवं सोनकी पथ से कॉंटी तक की सड़क पर फजिला गाँव एवं कॉंटी गाँव में पोखर के पास प्रोटेक्शन वॉल नहीं रहने के कारण टूट रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त स्थानों पर प्रोटेक्शन वॉल बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन दोनों पथ का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से कराया गया है। प्राक्कलन में प्रोटेक्शन वॉल का प्रावधान नहीं रहने के कारण प्रोटेक्शन वॉल का निर्माण नहीं कराया गया है। फजिला गाँव एवं कॉंटी गाँव में पोखर के पास 65 मीटर एवं 55 मीटर प्रोटेक्शन वॉल की आवश्यकता है।

इस संबंध में तकनीकी प्रतिवेदन की माँग की जा रही है। तत्पश्चात् अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी।

सड़क का निर्माण

पथ–110. श्री ललित कुमार यादव—क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिलान्तर्गत सदर प्रखंड मुरिया ग्राम पंचायत से सोनकी रोड विगत 4 (चार) वर्षों से जर्जर है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त आर0ई0ओ0 की सड़क जिला की अत्यन्त महत्वपूर्ण सड़क है जिसके जर्जर होने से हजारों जनता को आवागमन में कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त आर0ई0ओ0 सड़क को पथ निर्माण विभाग में अधिग्रहण कर निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) प्रश्नाधीन पथ एस0एच0 56 में सोनकी से प्रारंभ होकर एन0एच0 57 में मुरिया में मिलती है। इस पथ की लम्बाई 14.50 कि0मी0 है। यह पथ ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन है।

(2) पथ में वाहनों की संख्या, पथ में उपलब्ध ROW (Right of Way) एवं पथ की उपयोगिता के अध्ययन के बाद ही विभाग में अधिग्रहण पर विचार किया जा सकता है।

(3) वर्तमान में इस पथ को पथ निर्माण विभाग में अधिग्रहण का प्रस्ताव नहीं है।

गुणवत्ता की जाँच

पथ–16. श्रीमती लेशी सिंह—क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत के0 नगर प्रखंड अधीन पुल निर्माण निगम द्वारा हरदा पुल से देवकी, मोहनपुर जाने वाली पथ, जयप्रकाश नगर महादलित टोला जाने वाली पथ तथा सहरा, फूला टोला जाने वाली पथ में पड़ने वाले धार पर तीन अलग–अलग पुल बनाये गये हैं लेकिन उक्त तीनों पुल के निर्माण में संवेदक द्वारा गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं कराया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त तीनों पुल के निर्माण में गुणवत्ता की जाँच कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—वस्तुस्थिति यह है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत के0 नगर प्रखंड अधीन पुल निर्माण निगम द्वारा हरदा पुल से देवकी, मोहनपुर जाने वाली पथ, जयप्रकाश नगर महादलित टोला जाने वाली पथ तथा सहरा, फूला टोला जाने वाली पथ में पड़ने वाले धार पर तीन अलग–अलग पुल बनाये गये हैं।

जहाँतक गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं कराने का प्रश्न है, के संबंध में उल्लेखनीय है कि कार्यों को विशिष्टियों के अनुरूप कराया गया है। गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये समय–समय पर निर्माण कार्य में प्रयुक्त सामग्रियों की जाँच गुण नियंत्रण कोषांग, पुल निर्माण निगम, पटना तथा थर्ड पार्टी क्वालिटी कन्ट्रोल कन्सलटेंट से कराया जाता है। गुणवत्तापूर्ण कार्य होने पर ही कार्यों का भुगतान किया जाता है।

नाला का निर्माण

पथ–17. श्रीमती लेशी सिंह—क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ–धमदाहा–रूपौली राजकीय चौक पर अवस्थित काझा चौक, मीरगंज चौक तथा धमदाहा अनुमंडल मुख्यालय चौक पर सड़क किनारे नाला निर्माण नहीं होने से बरसात में सड़क पर जल–जमाव हो जाता है जिसके कारण आम लोगों को आवागमन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त स्थलों में सड़क किनारे नाला का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—पूर्णियाँ–धमदाहा–रूपौली राज्य उच्च पथ सं0 65 में काझा चौक के निकट पथ के दोनों तरफ नाला निर्मित है। मीरगंज चौक पर एस0एच0 65 एवं एस0एच0 77 के दोनों तरफ नाला निर्मित है।

धमदाहा अनुमंडल मुख्यालय चौक पर एस0एच0 65 में नाला निर्मित है जो दुकानदारों द्वारा कचड़ा से भर दिया गया जिसके कारण नाला कार्यरत नहीं है एवं जाम हो गया है इसलिये पानी का निकासी सही ढंग से नहीं होता है। धमदाहा–कुँआरी पथ जो धमदाहा चौक से अनुमंडल मुख्यालय की ओर जाता है, में नाला निर्मित नहीं है एवं वर्तमान में स्वीकृत भी नहीं है।

नाला का निर्माण

पथ–18. श्रीमती लेशी सिंह—क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला अन्तर्गत धमदाहा से कुँआड़ी तथा धमदाहा से बनमनखी पथ में धमदाहा बाजार सीमा तक नाली निर्माण नहीं होने से बरसात में जल–जमाव हो जाता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त दोनों पथ में धमदाहा बाजार सीमा तक नाला निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—धमदाहा चौक से दक्षिण धमदाहा कुँआरी पथ, पथ निर्माण विभाग का पथ एवं धमदाहा चौक से उत्तर बनमनखी जाने वाली धमदाहा–बनमनखी पथ ग्रामीण कार्य विभाग से हस्तांतरण के पश्चात् पथ निर्माण विभाग के अधीन निर्माणाधीन है। वर्तमान में धमदाहा बाजार में नाला निर्माण की योजना स्वीकृत नहीं है। कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, पूर्णियाँ को मुख्य अभियंता (या0), उत्तर बिहार, उप–भाग द्वारा निदेश दिया गया है कि जल निकासी के लिये सर्वेक्षण कर नाला निर्माण हेतु प्राक्कलन तैयार कर भेजें ताकि स्वीकृति के संबंध में निर्णय लिया जा सके।

पथ को नेटवर्क में शामिल करना

ग्राम्य–57. श्रीमती लेशी सिंह—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला के धमदाहा प्रखंड के कुल 29 पथों को वर्ष 2015 में मुख्यमंत्री सड़क जिला संचालन समिति, पूर्णियाँ की बैठक में राज्य कोर नेटवर्क में जोड़ने की अनुशंसा की गयी, परन्तु अभीतक अग्रेत्तर कारवाई संभव नहीं हो पाया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पथों को राज्य कोर नेटवर्क में शामिल करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—पूरे राज्य में पूर्व से तैयार राज्य कोर नेटवर्क में छूटे हुये/अचिह्नित टोलों अथवा बसावटों को सेटलाईट मैपींग की मदद से चिह्नित करने की कार्रवाई की जा रही है। इन अचिह्नित टोलों एवं बसावटों को चिह्नित करते हुये इन्हें बारहमासी सड़क सम्पर्कता प्रदान करने हेतु Supplementry Core-Network Map तैयार किया जा रहा है। इसके तहत पथों के निर्माण कराये जाने हेतु मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त कर "ग्रामीण टोला सम्पर्क निश्चय योजना" सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में शुरू की जायेगी।

यदि उपरोक्त 29 पथ Supplementry Core-Network Map में सम्मिलित हो जाते हैं तो विभाग द्वारा इनका निर्माण राशि की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर कराया जायेगा।

पथों का पुनर्निर्माण कराना

पथ–91. श्री ललन पासवान—क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत एन0एच0 2 डेहरी से एन0एच0 2 सी, तिलौथू, अमनौर, रोहतास, नौहट्टा, यदुनाथपुर, जारावागत तक सड़कों की स्थिति विगत 8 वर्षों से जीर्ण–शीर्ण अवस्था में रहने के कारण वाहनों एवं आम नागरिकों को आवागमन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पथों का पुनर्निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—राष्ट्रीय उच्च पथ सं0 2C के कि0मी0 0 से 40 के बीच तिलौथू, अमझौर, रोहतास अवस्थित है। इस पथांश को **2-lane with paved shoulder** में चौड़ीकरण कार्य वर्ष 2015–16 की कार्य योजना में शामिल है। इसका प्राक्कलन 25 फरवरी, 2016 को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा गया जो कुछ बिन्दुओं पर पृच्छा के साथ सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से दिनांक 14 मार्च, 2016 को प्राप्त हुआ है जिसका जवाब 15 अप्रील, 2016 तक भेज दिया जायेगा।

नौहट्टा, यदुनाथपुर, जरदाग NH-2C के कि0मी0 40 से 92 के बीच अवस्थित है। यह पथांश सुरक्षित वन एवं कैमूर वन्य आश्रयणी के अन्तर्गत है। **Wild Life Board** द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत नहीं करने के कारण आगे की कार्रवाई बाधित है।

पथ का निर्माण

ग्राम्य–183. श्री ललन पासवान—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत चेनारी प्रखंड के बसनारा, नेऊरी, सदोखर, तुर्की, चन्दपुरा भाया चेनारी निर्माणाधीन 17 कि0मी0 लम्बी पथ का निर्माण प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया तथा उक्त पथ का वित्तीय वर्ष 2008–09 में एन0पी0सी0सी0 द्वारा निविदा आमंत्रण कर कार्य प्रारंभ किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि संवेदक द्वारा उक्त पथ में मात्र 20 प्रतिशत कार्य कर अधूरा छोड़ दिया गया है जिससे वहाँ की आम जनता को आवागमन में कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त निर्माण कार्य करने वाले संबंधित पदाधिकारी एवं संवेदक के विरुद्ध कार्रवाई करते हुये अधूरे सड़क को पूर्ण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) आंशिक स्वीकारात्मक है।

(2) स्वीकारात्मक है।

(3) वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ की लम्बाई 14.65 कि0मी0 है। इसका निर्माण पैकेज संख्या बी0आर0 28/63 के तहत केन्द्रीय एजेंसी एन0पी0सी0सी0 द्वारा कराया जा रहा है।

एन0पी0सी0सी0 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि ससमय कार्य पूरा नहीं करने के कारण संबंधित संवेदक को काली सूची में डालकर जमानत की राशि जप्त कर ली गयी है।

प्रश्नाधीन पथ का पुनरीक्षित प्राक्कलन एन0पी0सी0सी0 द्वारा भारत सरकार को स्वीकृति हेतु समर्पित किया गया है। स्वीकृत्योपरान्त अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सकेगी।

पुल का निर्माण

ग्राम्य–304. श्री लाल बाबू राम—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला के सकारा प्रखंड के पंचायत मुराहलोचनपुर में बखरी ग्राम के पास जमुआरी नदी पर बना पुल विगत चार वर्षों से जर्जर है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पुल का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि टी 01 दुबहा, जंग से रामपुर, बखरी जाने वाली पी0एम0जी0एस0वाई0 पथ पर प्रश्नाधीन 30 मीटर स्पैन का पुराना स्क्रू पाइल ब्रीज अवस्थित है जो काफी जर्जर स्थिति में है। इस पुल स्थल के 1.0 कि0मी0 U/S एवं 2.0 कि0मी0 D/S में भी पुल निर्मित है। पुल का प्रस्ताव पी0एम0जी0एस0वाई0 मिसिंग ब्रीज के अन्तर्गत तैयार कर स्वीकृति हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को समर्पित करने हेतु कार्रवाई की जा रही है। भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर निर्माण कार्य कराया जायेगा।

पुल का निर्माण

ग्राम्य–131. श्री मुजाहिद आलम—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत किशनगंज प्रखंड के बेलवा पंचायत में चीलमाड़ी गाँव के पास चीलमाड़ी–मोतिहारी–तासुका मार्ग के रमजान नदी पर पुल नहीं रहने के कारण ग्रामीणों को आवागमन में काफी कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर पुल का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ को राज्य कोर नेटवर्क में अर्हता नहीं रखने के कारण सम्मिलित नहीं किया गया है। उक्त पुल स्थल के अप स्ट्रीम में 3 कि0मी0 पर निर्मित पुल है। प्रश्नाधीन पुल के निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

पुल का निर्माण

ग्राम्य–132. श्री मुजाहिद आलम—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत कोचाधामन प्रखंड के मौधों पंचायत के रानी से मधैल, रानी जाने वाली सड़क के मरिया घाट पर पुल नहीं होने के कारण ग्रामीणों को आने–जाने में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर पुल का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पुल स्थल के दोनों तरफ का पथ कच्ची है। उक्त पथ को अर्हता नहीं रखने के कारण राज्य कोर नेटवर्क में शामिल नहीं किया गया है। प्रश्नाधीन पुल के निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

पुल का निर्माण

ग्राम्य–195. श्री मुजाहिद आलम––क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत कोचाधामन प्रखंड के रहमतपाड़ से शहनगरा प्रधानमंत्री सड़क के महुआ गाँव के निकट महुआ घाट पर पुल नहीं रहने के कारण लोगों को आवागमन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पथ के महुआ धार पर पुल बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री––स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पुल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत निर्मित पथ रहमतपाड़ से शहनगरा (पैकेज सं0 BR-18R-017) पर अवस्थित है। उक्त पुल राज्य कोर नेटवर्क में कोचाधामन प्रखंड के छूटे हुये पुल–पुलिया के क्रमांक–2 में सम्मिलित है। प्राथमिकता क्रमानुसार इसका निर्माण कराया जा सकेगा।

पुल का निर्माण

पथ–71. श्री मुजाहिद आलम––क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि––

(1) क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत कोचाधामन प्रखंड के मस्तान चौक से बरबहा पथ तक पथ निर्माण विभाग की सड़क में मौधी घाट के निकट मुर्गी कोदी नदी पर बना स्क्रू पाइल पुल काफी जर्जर हो गया है ;

(2) क्य यह बात सही है कि उक्त पुल से बड़े वाहनों का परिचालन बन्द है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त जर्जर स्क्रू पाइल के स्थान पर आर0सी0सी0 पुल बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री––(1) स्वीकारात्मक है।

(2) स्वीकारात्मक है।

(3) उक्त पथ का वास्तविक नाम बगलबाड़ी–रहमतपाड़ा–अलता–बरबट्टा पथ है। इस पथ के 15वें कि0मी0 में मौधो हाट के निकट स्थित स्क्रू पाइल पुल काफी पुराना एवं कमजोर है जिससे होकर भारी वाहनों के परिचालन को बन्द करने के लिये बैरियर लगाया गया है। वर्ष 2014–15 के कार्य योजना में उक्त स्थान पर स्क्रू पाइल पुल के बदले 75 मीटर लम्बाई का उच्चस्तरीय आर0सी0सी0 पुल प्रस्तावित था। 60 मीटर से अधिक लम्बाई का पुल प्रस्तावित रहने के कारण उक्त स्थल पर पुल निर्माण हेतु बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0 को प्राक्कलन देने का निदेश विभाग द्वारा दिया गया था। वर्ष 2016–17 के कार्य योजना में इसे शामिल करने पर विचार किया जा रहा है।

छात्रवृत्ति देना

क–13. श्री महबूब आलम––क्या मंत्री, श्रम संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि––

(1) क्या बात सही है कि बिहार शताब्दी वर्ष असंगठित क्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना 2011 के तहत असंगठित क्षेत्र के कामगारों के बच्चों को छात्रवृत्ति देने का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2013 और 2014 में असंगठित क्षेत्र के कामगारों के 800 बच्चों द्वारा कार्यकारी निदेशक के पास छात्रवृत्ति हेतु आवेदन दिया गया था परन्तु आजतक छात्रवृत्ति की तय न्यूनतम राशि 1,200 रु० प्रतिवर्ष भी नहीं दी जा सकी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त कामगारों के बच्चों को छात्रवृत्ति देना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों, नहीं ?

प्रभारी मंत्री—(1) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(2) उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि असंगठित क्षेत्र के कामगारों के बच्चों को छात्रवृत्ति देने से संबंधित कुल 92 आवेदन प्राप्त हुये हैं। छात्रवृत्ति देने की योजना प्रक्रियाधीन है। उक्त योजना की प्रक्रिया तय करने हेतु शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग एवं अनुसूचित जाति, जनजाति कल्याण विभाग के पत्रांक 277, दिनांक 28 फरवरी, 2014, 393, दिनांक 11 अप्रील, 2014 एवं 885, दिनांक 22 अक्टूबर, 2014 के द्वारा परामर्श माँगा गया है। परामर्श प्राप्त होते ही कार्य योजना बनाकर योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित की जायेगी।

(3) उपरोक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

निर्णय लागू करना

क–16. श्री महबूब आलम—क्या मंत्री, श्रम संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि श्रम संसाधन विभाग के बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा 10 दिसम्बर, 2010 की बैठक में निर्माण मजदूरों का निबंधन एवं नवीकरण शुल्क 1 रु० प्रतिवर्ष करने और 15 दिनों के अन्तर्गत सरकार से अनुमोदित कराकर लागू करने का निर्णय किया गया था किन्तु उक्त निर्णय अभीतक लागू नहीं हुआ है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

प्रभारी मंत्री—उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि दिनांक 12 अक्टूबर, 2010 को बोर्ड की बैठक में निर्माण मजदूरों का पंजीकरण एवं नवीकरण के लिये निर्धारित शुल्क में संशोधन हेतु बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्तें विनियमन) नियमावली, 2005 में संशोधन करने का निर्णय लिया गया।

बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्तें विनियमन) नियमावली, 2005 के अन्तर्गत निबंधन एवं अंशदान से संबंधित नियम 266 एवं 267 में संशोधन की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये संशोधन का प्रस्ताव तैयार कर विधि विभाग को भेजी गई है।

पथ का निर्माण

पथ–57. श्री मुन्द्रिका सिंह यादव—क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि अरवल जिला के सोनभद्र वंशी सूर्यपुर प्रखंड के ग्राम–शेरपुर, अनुआ, अकरौंजा एवं धरनई में पुनपुन नदी में पुल का निर्माण किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त पुलों का निर्माण हुये वर्षों बीत गये हैं किन्तु पहुँच पथ का निर्माण अबतक नहीं हो पाया है जिससे आवागमन बाधित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त पुलों के पहुँच पथ का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) प्रश्नगत पुलों में से सोनभद्र वंशी सूर्यपुर प्रखंड के ग्राम–शेरपुर पुल मुख्यमंत्री सेतु योजनान्तर्गत शेष तीन पुल नाबार्ड ऋण योजनान्तर्गत (ग्रामीण कार्य विभाग) के पथ पर निर्माण की गई है। चारों पुलों का उद्घाटन 06/2010, 07/2014 (दो पुलों) एवं 02/2015 में किया जा चुका है।

(2) प्रश्नाधीन शेरपुर पुल जो मुख्यमंत्री सेतु योजना के अधीन निर्मित हुआ है, में प्राक्कलन में निहित प्रावधान के अन्तर्गत दोनों तरफ 50–50 मीटर पहुँच पथ का निर्माण किया जा चुका है।

शेष तीन पुल का यथा अनुआं, अकरौंजा एवं धरनई पुल का निर्माण नाबार्ड ऋण योजना के अन्तर्गत ग्रामीण कार्य विभाग के पथों पर ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति के उपरान्त किया गया है। इन तीनों पुलों में से अनुआं तरफ 150 मीटर, करमा तरफ 150 मीटर, धरनई पुल के कुरथा तरफ 50 मीटर, धरनई तरफ 116 मीटर तथा अकरौंजा पुल के वलेरो तरफ 80 मीटर, अकरौंजा तरफ 90 मीटर तथा ईस्ट–वेस्ट का 38 मीटर पहुँच पथ का निर्माण प्राक्कलन में निहित प्रावधान के अधीन किया गया है।

शेष सम्पर्क पथ ग्रामीण कार्य विभाग का पथ है। सम्पर्क पथ का निर्माण हेतु ग्रामीण कार्य विभाग से अनुरोध किया जा रहा है।

सड़क का निर्माण

ग्राम्य–203. श्री मुन्द्रिका सिंह यादव—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि जहानाबाद जिला के जहानाबाद प्रखंड के परशुरामपुर पथ से धुरू बिगहा तक 1 कि0मी0 सड़क पुल सहित तथा तुरकौल पथ से पछियारी, मठीया तक 1.5 कि0मी0 सड़क पुल सहित का निर्माण प्रस्तावित है ;

(2) यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण कराने का विचार रखती नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) अस्वीकारात्मक।

(2) वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्न निम्नांकित दो पथों से संबंधित है :–

(1) परशुरामपुर पथ से धुरू बिगहा—इस पथ की लम्बाई 1.00 कि0मी0 है। एन0एच0एस0 डाटा के अनुसार धुरू बिगहा की आबादी मात्र 150 है।

(2) तुरकौल पथ से पछियारी मटिया—इस पथ की लम्बाई 1.50 कि0मी0 है। तुरकौल मठिया एन0एच0एस0 डाटा में सम्मिलित नहीं है। राज्य कोर नेटवर्क में छूटे हुये बसावटों के सर्वेक्षण में यदि तुरकौल मठीया योग्य पाया जाता है तो तद्नुसार अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी।

वर्णित कारणों से उपरोक्त प्रश्नाधीन पथों का निर्माण का प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

पथों का मरम्मती

ग्राम्य–205. श्री मुन्द्रिका सिंह यादव––क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि––

(1) क्या यह बात सही है कि जहानाबाद जिला के रतनी, फरीदपुर प्रखंड के पंडोल–मुरहरा पथ से महमदीपुर से अईरा तक 2 कि0मी0 सड़क तथा धनडिहुरी से अखत्यारपुर भाया पचासा, भसड़ा तक 2 कि0मी0 तक सड़क जर्जर है ;

(2) यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पथों की मरम्मती कराने का विचार रखती, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री––(1) आंशिक स्वीकारात्मक।

(2) वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्न निम्नांकित दो पथों से संबंधित है :–

(1) पंडोल–मुरहरा पथ से महमदीपुर से अईरा तक पथ––ऐसा कोई पथ किसी कोर नेटवर्क में आरेखित नहीं है। यह एक कच्चा बाँध है जो निजी जमीन पर है। इसका निर्माण पंचायत द्वारा कराया गया है। अतः इसकी मरम्मती का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(2) धनडिहुरी से अख्तियारपुर भाया पचासा, भसड़ा तक पथ––इस पथ की लम्बाई 2.50 कि0मी0 है जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत कोर नेटवर्क में शामिल है। इस पथ का लिंक रूट संख्या एल0 137 है।

इस पथ का निर्माण भारत सरकार की स्वीकृति के उपरांत कराया जा सकेगा।

सड़क का निर्माण

पथ–77. श्री महेश्वर प्रसाद यादव––क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि––

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार सरकार द्वारा हाजीपुर–मुजफ्फरपुर के बीच 5 वर्ष पूर्व से फोर लेन सड़क का निर्माण किया जा रहा है जिसका कार्य अभीतक अपूर्ण है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त सड़क का कार्य अधूरा रहने के कारण पूरे उत्तर बिहार के लोगों को पटना जाने–आने में अधिक समय लगता है तथा उक्त परियोजना को पूर्ण करने का निर्धारित समय पूरा हो चुका है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त फोर लेन सड़क का निर्माण कार्य यथाशीघ्र पूरा कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री––(1) आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि हाजीपुर–मुजफ्फरपुर खंड को चार लेन चौड़ीकरण का कार्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण फेज–3 के तहत बी0ओ0टी0 (एन्यूटी) मोड पर दिनांक 12 अगस्त, 2010 को शुरू हुआ था। इस परियोजना को ढ़ाई साल के भीतर समाप्त की जानी थी। इसके अनुसार यह कार्य 6 फरवरी, 2013 को समाप्त होना था परन्तु परियोजना की प्रगति रियायतग्राही को बाधामुक्त भूमि ससमय उपलब्ध नहीं कराने एवं रेलवे द्वारा ससमय अनुमति नहीं मिलने के कारण अंशतः बाधित हुई। रियायतग्राही के पास पर्याप्त निधि का अभाव है। इस कारण से कार्य लम्बे समय से रूका हुआ था एवं पूर्ण नहीं किया जा सका।

(2) एवं (3) प्रश्नाधीन पथ में एकारा के नजदीक आर0ओ0बी0–2 का निर्माण कार्य वर्ष 2011 में शुरू हुआ था एवं फाउंडेशन तक कार्य भी पूरा कर लिया गया था। इस आर0ओ0बी0 का निर्माण कार्य डिजायन से संबंधित विवाद जो रियायतग्राही एवं रेलवे के बीच में हुआ एवं रेलवे द्वारा CRS (Commission of Railway Safety) नहीं मिलने के कारण एवं पहुँच पथ में भू–अर्जन की समस्या के कारण बाधित हुआ था। निर्माण कार्य पुनः अप्रील, 2015 में शुरू हुआ था एवं कार्य प्रगति पर है। इस आर0ओ0बी0 का कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 31 मई, 2016 है।

दिग्घी के नजदीक आर0ओ0बी0–1 का निर्माण कार्य रेलवे द्वारा महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे कार्यालय के सामने भायाडक्ट की माँग, रेलवे द्वारा सुपरसीडेड जी0ए0डी0 की माँग एवं रियायतग्राही के पास पर्याप्त निधि के अभाव में अगस्त, 2013 से रूका हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा भायाडक्ट की स्वीकृति दे दी गई है एवं उसके डिजायन एवं ड्राइंग को बनाने एवं अंतिम रूप देने के लिये रियायतग्राही एवं स्वतंत्र सलाहकार को दिया गया है।

सड़क का कार्य कुछ जगहों पर भू–स्वामियों के द्वारा व्यावसायिक दर से मुआवजा भुगतान के लिये कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने के कारण रूका हुआ है। इन सभी तथ्यों को जिला प्रशासन के साथ मिलकर इस बाधाओं को दूर करने का प्रयास जारी है।

पुल का निर्माण

पथ–78. श्री महेश्वर प्रसाद यादव––क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि––

(1) क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत मझौली–कटरा पथ के भुसरा, सियारी नदी पर एवं राजाडीह में बना हुआ स्क्रू पाइल ब्रिज जर्जर है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त पथ जिला मुख्यालय से कटरा प्रखंड मुख्यालय को जोड़ने वाली एकमात्र मुख्य सड़क है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त दोनों पुराने पुल के स्थान पर आर0सी0सी0 पुल का निर्माण कराना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री––(1) मझौली–कटरा पथ में कुल तीन स्क्रू पाइल पुल है (1) 3रे कि0मी0 में बहलोलपुर घाट पर (2) 12वें कि0मी0 में भुसरा, सियारी नदी पर तेजुआ घाट पर एवं (3) 15वें कि0मी0 में राजाडीह में। तीनों पुल आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है जिसका आवश्यकतानुसार मरम्मती कराया जाता है। तीनों पुल पर सभी तरह के वाहनों का आवागमन चालू है।

मझौली–कटरा पथ लगभग दो वर्ष पूर्व ही NH-527 C घोषित हो चुका है। इस पथ एवं पथ में पड़ने वाले पुलों का निर्माण अब राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (N.H.A.I.) द्वारा कराया जाना है। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) N.H.A.I. द्वारा तैयार किया जा रहा है।

सड़क का चौड़ीकरण

ग्राम्य–122. श्री महेश्वर प्रसाद यादव—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत बड़गाँव चौक से बन्दरा प्रखंड मुख्यालय होते हुये सखौरा चौक तक जाने वाली पक्की सड़क जर्जर है जबकि बन्दरा प्रखंड मुख्यालय को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली एक यही मुख्य सड़क है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त सड़क का चौड़ीकरण एवं जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ का दो भाग है। प्रथम जारंगी से वेहरा है जिसकी लम्बाई 9.20 कि0मी0 है। दूसरा भाग टी01 वेहरा से ननकारा जिसकी लम्बाई 4.790 कि0मी0 है। दोनों पथ मरम्मती हेतु श्रेणी–1 के क्रमांक–1 एवं 2 पर अंकित है।

निधि की उपलब्धता एवं प्राथमिकता क्रमानुसार पथ का मरम्मती कार्य कराया जाना संभव हो सकेगा।

पथ का निर्माण

ग्राम्य–109. श्री मिथिलेश तिवारी—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिला के बैकुण्ठपुर प्रखंड के अन्तर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय, प्यारेपुर और उत्क्रमित मध्य विद्यालय, गंधुआ (कतालपुर पंचायत) में छात्रों तथा शिक्षकों को विद्यालय आने–जाने हेतु सम्पर्क सड़क नहीं है जिसके कारण छात्र–छात्राओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त दोनों विद्यालयों में सम्पर्क पथ निर्माण कराना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—वस्तुस्थिति यह है कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय, चकिया पी0एम0जी0एस0वाई0 पथ से आता खैरा जाने वाली बाजार से 50 मीटर की दूरी पर है जो रैयती जमीन पर अवस्थित है। उत्क्रमित मध्य विद्यालय, गंधुआ (कतालपुर पंचायत) कतालपुर पी0सी0सी0 पथ से 30 मीटर की दूरी पर है जो रैयती जमीन पर अवस्थित है। प्रश्नाधीन दोनों पथ कोर नेटवर्क में सम्मिलित नहीं है।

अभी वर्णित दोनों पथों के निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

सड़क की मरम्मती

ग्राम्य–36. श्री मेवालाल चौधरी—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिला के टेटिया बम्बर प्रखंड अन्तर्गत टेटिया, बनगामा मोड़ से ढ़ाई पोखर होते हुये धौरी तक की सड़क जर्जर है जिससे ग्रामीणों को बरसात के दिनों में आने–जाने में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मती कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—आंशिक स्वीकारात्मक है। प्रश्नाधीन पथ टेटिया, बनगामा मोड़ से ढ़ाई पोखर होते हुये धौरी तक पथ के दो पथांश हैं :—

(1) **टेटिया, बनगामा मोड़ से ढ़ाई पोखर होते हुये खगरौन पथ**—उक्त पथ की लं0 4.10 कि0मी0 है। यह पथ श्रेणी–1 में शामिल है। निधि की उपलब्धता के आधार पर प्राथमिकतानुसार इसका मरम्मती कराया जाना संभव हो सकेगा।

(2) **खगरौन से धौरी तक पथ**—उक्त पथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत पैकेज सं0 BR-22R-066 के रूप में वित्तीय वर्ष 2012–13 में निर्मित है एवं अनुरक्षण अवधि में है। संवेदक द्वारा अनुरक्षण कार्य कराया जा रहा है एवं पथ की स्थिति अच्छी है।

सड़क का पक्कीकरण

ग्राम्य–37. श्री मेवालाल चौधरी—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिला के टेटिया बम्बर प्रखंड अन्तर्गत टेटिया बम्बर थाना मुख्य सड़क से बम्बर बाजार होते हुये आमजोरवा स्थान मुख्य सड़क तक की सड़क जर्जर है जिससे ग्रामीणों को खासकर बरसात के दिनों में आने–जाने में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त सड़क का पक्कीकरण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ टेटिया बम्बर बेसिक स्कूल के पास से बम्बर गाँव के हरिजन टोला तक के नाम से एम0एन0पी0 योजनान्तर्गत स्वीकृत है तथा एकरारनामा की प्रक्रिया में है। तदोपरांत उक्त पथ का निर्माण कराया जाना संभव हो सकेगा।

सड़क का पक्कीकरण

ग्राम्य–38. श्री मेवालाल चौधरी—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिला के टेटिया बम्बर प्रखंड अन्तर्गत टेटिया बम्बर थाना मुख्य सड़क से केलावाड़ी मैदान होते हुये लगमा तक की सड़क जर्जर है जिससे आम जनता को बरसात के दिनों में आने–जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त सड़क का पक्कीकरण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ की लं0 1.25 कि0मी0 है एवं कच्ची सड़क है। उक्त पथ के बीच में कोई बसावट नहीं है जिसके कारण इसे कोर नेटवर्क में शामिल नहीं किया गया है। उक्त पथ के दोनों तरफ का बसावट टेटिया एवं लगमा पक्की सड़क से जुड़ा हुआ है। वर्तमान में प्रश्नाधीन पथ का निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

सड़क का निर्माण

ग्राम्य–39. श्री मेवालाल चौधरी––क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिला के तारापुर प्रखंड अन्तर्गत तारापुर बाजार (पश्चिम) से धौनी होते हुये माहपुर तक सड़क का निर्माण नहीं होने से तारापुर बाजार में प्रत्येक दिन ट्रैफिक जाम हो जाता है तथा आम लोगों को आवागमन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री––आंशिक अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ मुंगेर जिला के तारापुर प्रखंड अन्तर्गत तारापुर बाजार (पश्चिम) से धौनी होते हुये माहपुर तक कोई सड़क नहीं गुजरती है। धौनी एवं माहपुर के बीच रैयती जमीन है जहाँपर कोई सड़क नहीं है। धौनी एवं माहपुर के बीच तारापुर थाना, चौक, कॉलेज होते हुये एस0एच0 है। उक्त कारण से प्रश्नाधीन पथ का निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

पुल का निर्माण

पथ–106. श्री मुंद्रिका प्रसाद राय––क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि––

(1) क्या यह बात सही है कि सारण जिला के इसुआपुर प्रखंड स्थित छपिया पंचायत के ग्राम–फेनहरा तथा फेनहरा, गड्डी के बीच से डबरा नदी गुजरती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि ग्राम–फेनहरा से फेनहरा, गड्डी जाने के लिये 6 कि0मी0 की दूरी तय करना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार ग्राम–फेनहरा तथा ग्राम–फेनहरा, गड्डी को जोड़ने के लिये डबरा नदी पर पुल बनाने का विचार रखती है नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री––(1) स्वीकारात्मक है।

(2) अस्वीकारात्मक है।

(3) वस्तुस्थिति यह है कि ग्राम–फेनहरा एवं फेनहरा, गड्डी के दोनों तरफ पथ का रेखांकन नहीं है तथा सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं है।

प्रश्नाधीन स्थल के अप स्ट्रीम में 1 कि0मी0 की दूरी पर पुल निर्मित है। अतः वर्णित स्थल पर पुल निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

पथ की मरम्मती

ग्राम्य–194. श्री मुद्रिका प्रसाद राय––क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत इसुआपुर–नेवारी पथ इसुआपुर प्रखंड और तरैया प्रखंड को जोड़ने वाली पथ दो वर्षों से जर्जर है जिससे आवागमन बंद है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पथ के मरम्मती का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—वस्तुस्थिति यह है कि इसुआपुर–नेवारी पथ पी0एम0जी0एस0वाई0 अन्तर्गत निर्मित पथ है जिसकी लम्बाई 11.74 कि0मी0 है। यह केन्द्रीय एजेंसी इरकॉन द्वारा 17 मार्च, 2011 को पूर्ण कराया गया है जो अनुरक्षण अवधि में है। पथ का अनुरक्षण कार्य इरकॉन द्वारा यथाशीघ्र करा लिया जायेगा।

सड़क का निर्माण

ग्राम्य–243. श्री मनोहर प्रसाद सिंह—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है किं कटिहार जिला के मनसाही प्रखंड अन्तर्गत फुलहरा ग्राम पंचायत के रौता घाट से बाँध पर लहसा गाँव के नन्द किशोर मण्डल के घर होते हुये इसराइल के घर तक सड़क कच्ची रहने के कारण आम जनता को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ के मुख्य बसावट लहसा को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत निर्माणाधीन पथ मैरा–फुल्हारा पथ से लहसा (पैकेज सं0 BR-16R-056) से सम्पर्कता प्राप्त हो रही है। उक्त कारण से प्रश्नाधीन पथ को राज्य कोर नेटवर्क में शामिल नहीं किया गया है। अतः प्रश्नाधीन पथ के निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

सड़क का निर्माण

ग्राम्य–248. श्री मनोहर प्रसाद सिंह—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के मनसाही प्रखंड अन्तर्गत चितौड़िया ग्राम पंचायत के छोटी बथना मदरसा से रेया टोला जाने वाली सड़क में महावीर सिंह के खेत तक कच्ची सड़क रहने के कारण आम जनता को आवागमन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि छोटी बथना को बड़ी बथना से चितौड़िया पी0एम0जी0एस0वाई0 पथ से सम्पर्कता प्रदत्त है। रैया टोला को शरीफगंज से मनसाही पथ से सम्पर्कता प्रदत है। अतः प्रश्नाधीन पथ को राज्य कोर नेटवर्क में शामिल नहीं किया गया है।

वर्तमान में प्रश्नाधीन पथ का निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

अनुशंसा करना

क–11. श्री (मो0) नवाज आलम—क्या मंत्री, श्रम संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि भारत सरकार के नियमानुसार आई0टी0आई0 कोर्स तीन शिफट में चलाने का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य में दो शिफ्ट में आई0टी0आई0 कोर्स चल रहा है जबकि उत्तर प्रदेश, बंगाल सहित अन्य राज्यों में तीन शिफ्ट में चल रहा है तथा दो शिफ्ट में चलने से श्रमिक लोग इस लाभ से वंचित हो जाते हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य में आई0टी0आई0 तीन शिफ्ट में चलाने हेतु भारत सरकार एन0सी0भी0टी0 को अनुशंसा करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री---(1) स्वीकारात्मक।

(2) स्वीकारात्मक। भारत सरकार द्वारा दो शिफ्ट में आई0टी0आई0 कोर्स चलाने का संबंधन प्राप्त होने के कारण बिहार राज्य में दो शिफ्ट में आई0टी0आई0 कोर्स चल रहा है।

(3) आई0 टी0 आई0 का संबंधन QCI (क्वालिटी कॉन्सिल ऑफ इंडिया) के अनुशंसा पर NCVT भारत सरकार द्वारा दी जाती है।

यदि कोई औ0प्र0 संस्थान तीसरे शिफ्ट में कोर्स चलाने हेतु आवेदन करते हैं एवं सभी अर्हताओं को पूरा करते हैं तो सरकार इसपर विचार करेगी।

जाम से मुक्ति

पथ–107. श्री (मो0) नवाज आलम---क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला मुख्यालय आरा में प्रतिदिन सड़क जाम की स्थिति बनी रहती है जिसके कारण आवश्यक सेवाएँ समय पर नहीं हो पाता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार आरा शहर को जाम से निजात दिलाने हेतु शहर के चारों तरफ रिंग सड़क का निर्माण करवाकर जाम से मुक्ति दिलाना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री---रिंग सड़क का निर्माण एक नई एवं अत्यधिक लागत वाली योजना होगी। किसी भी नई योजना की स्वीकृति उनके संगत पहलुओं यथा जमीन की उपलब्धता, निधि की उपलब्धता, वर्तमान Traffic density इत्यादि को ध्यान में रखकर दी जाती है।

उक्त पहलुओं का अध्ययन कर रिंग सड़क निर्माण हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR-Detailed Project Report) तैयार किया जाना आवश्यक है। वर्तमान में कोई योजना स्वीकृत नहीं है।

पुल का निर्माण

ग्राम्य–103. श्री (मो0) नवाज आलम---क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि---

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला के आरा शहर अन्तर्गत ग्राम–जमीरा, ग्राम–पिरहियाँ एवं हसनपुरा के बीच में कुम्हरी नदी बहती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त गाँव के पास नदी में पुल नहीं रहने के कारण आवागमन में कठिनाई हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कुम्हरी नदी पर पुल निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक।

(2) स्वीकारात्मक।

(3) वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पुल का निर्माण कार्य नाबार्ड योजना अन्तर्गत प्रगति में है। एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि 24 जनवरी, 2017 है।

पुल का निर्माण

ग्राम्य–317. श्री नौशाद आलम—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला के ठाकुरगंज प्रखंड अन्तर्गत सीमावर्ती क्षेत्र गलगलिया से कुम्हार टोली तक बी0ए0डी0पी0 के तहत सड़क निर्माण कार्य हुआ है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त पथ पर कुम्हार टोली के पास पुल नहीं होने के कारण सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों को आवागमन में कठिनाई उत्पन्न हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर पुल निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक है।

(2) स्वीकारात्मक है।

(3) वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ ठाकुरगंज प्रखंड अन्तर्गत सीमावर्ती क्षेत्र गलगलिया से कुम्हार टोली तक पथ की कुल लम्बाई 4 कि0मी0 है एवं इसका निर्माण बी0ए0डी0पी0 योजना के तहत स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, किशनगंज द्वारा कराया गया है।

एन0एच0एस0 के अनुसार कुम्हार टोली की आबादी 234 है। गलगलिया और कुम्हार टोली के बीच कोई बसावट नहीं रहने के कारण इसे राज्य कोर नेटवर्क में शामिल नहीं किया गया है।

प्रश्नाधीन स्थल पर पुल का निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

पुल का निर्माण

पथ–64. श्री नौशाद आलम—क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला अन्तर्गत के के0टी0टी0जी0 रोड एकमात्र रोड है जो ठाकुरगंज प्रखंड को जिला मुख्यालय से जोड़ती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त सड़क में खरना के पास महानंदा नदी पर बने पुल की चौड़ाई काफी कम है जिससे जाम लगा रहता है ;

(3) क्या यह बात सही है कि 2014–15 में उक्त स्थान पर नये पुल का डी0पी0आर0 बनाकर विभाग में जमा कर दिया गया है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार आवागमन की दृष्टि से महत्वपूर्ण इस सड़क में महानंदा नदी पर नया पुल बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक है। इस पथ का पूरा नाम किशनगंज–तैयबपुर–ठाकुरगंज–गलगलिया पथ है।

(2) इस पुल की चौड़ाई मात्र 3.75 मीटर है।

(3) प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण लि0, पटना के पत्रांक 536, दिनांक 8 मई, 2015 द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति हेतु डी0पी0आर0 अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को समर्पित किया जा चुका है जिसकी प्राक्कलित राशि रु0 25,88,30,000 (पचीस करोड़ अठासी लाख तीस हजार) रुपये मात्र है।

प्राप्त डी0पी0आर0 की जाँच की जा रही है।

सड़क का निर्माण

मथ–119. श्री नौशाद आलम—क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला के कठामठा से टप्पू जाने वाली सड़क ठाकुरगंज एवं बहादुरगंज दो विधान–सभा क्षेत्रों को जोड़ने वाली आवागमन की दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण सड़क है जो जर्जर है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त सड़क का पथ निर्माण विभाग में अधिग्रहण कर निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—किशनगंज जिला के कठामठा से टप्पू जाने वाली पथ जिसकी लम्बाई लगभग 50 कि0मी0 है ग्रामीण कार्य विभाग का पथ है।

पथ में वाहनों की संख्या, पथ में उपलब्ध ROW (Right of Way) एवं पथ की उपयोगिता के अध्ययन के बाद ही विभाग में अधिग्रहण पर विचार किया जाता है।

वर्तमान में इन पथ के पथ निर्माण विभाग में अधिग्रहण का प्रस्ताव नहीं है।

भवन का निर्माण

सामु–2. श्री नारायण प्रसाद—क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत नौतन एवं बैरिया प्रखंड का भवन जर्जर हो गया है जिसकी मरम्मती पिछले दस वर्षों से प्रत्येक दो वर्ष पर किया जाता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि दोनों प्रखंडों में नया भवन बनाने की स्वीकृति वर्ष 2009 में दिया गया है लेकिन आजतक निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नौतन एवं बैरिया प्रखंड का नया भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत नौतन एवं बैरिया प्रखंड के भवन का जीर्णोद्धार कार्य वर्ष 2014–15 में तेरहवीं वित्त आयोग की निधि से पंचायत समिति की अनुशंसा पर किया गया है।

(2) अस्वीकारात्मक है।

(3) उपरोक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है। राज्य सरकार ने चरणबद्ध ढंग से सभी नवसृजित एवं पुराने वैसे प्रखंड जिनके कार्यालय भवन जो जीर्ण–शीर्ण हो चुके हैं एवं नये भवन के निर्माण की आवश्यकता है उनके कार्यालय एवं आवासीय भवन तथा परिसर विकास नयी तकनीक के आधार पर करवाने हेतु कृतसंकल्पित है।

नाबार्ड के वित्त संपोषण से 101 प्रखंडों में प्रखंड सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र के भवन का निर्माण कराये जाने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है जिसमें बैरिया प्रखंड को भी शामिल किया गया है।

सड़क का निर्माण

ग्राम्य–17. श्री नन्द कुमार राय—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत मोतीपुर प्रखंड के हरनाही से कमालपुर विघरौल, खन्तरी, महानंद से गोसाईपुर, चैनपुर से चकवा, ठकहा से असवारी, बंजरिया एवं बगही से पारसपुर मुसहरी तक सड़क का निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 2007–08 में जे0एस0आर0 कम्पनी, चेन्नई को दिया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त सड़कों का ईंट सोलिंग पूर्व से ही था जिसे जे0एस0आर0 कम्पनी द्वारा उखाड़ लिया गया जिसके कारण सड़क की स्थिति दयनीय हो गयी है किन्तु कम्पनी द्वारा सड़क निर्माण कार्य अभीतक शुरू नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं करने वाले कम्पनी पर कार्रवाई करते हुये सड़क का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक है।

(2) आंशिक स्वीकारात्मक है। पथों में मिट्टी का कार्य कर संवेदक द्वारा कार्य बंद कर दिया गया।

(3) वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्न पाँच पथों से संबंधित है। पाँचों पथों का कार्य चेन्नई के निर्माण कम्पनी जे0एस0आर0 को पी0एम0जी0एस0वाई के तहत आवंटित किया गया था। निर्माण एजेंसी द्वारा जी0एस0बी0 कार्य हेतु प्राक्कलन के तहत ईंट सोलिंग उखाड़ लिया गया एवं पथ में आंशिक मिट्टी का कार्य कराकर कार्य रोक दिया गया। कार्य नहीं करने के कारण एकरारनामा को विखंडित करते हुये खिबार करने की कार्रवाई कर दी गयी है। वसूलनीय राशि के लिये सर्टीफिकेट केस भी कर दिया गया है।

प्रश्नाधीन पाँच पथों में से दो पथों चैनपुर से चकवा एवं ठकहा से असवारी–बंजरिया पथ पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति की प्रक्रिया में है। शेष तीन पथों (1) हरनाही से कमालपुर, बिथरौल (2) खन्तरी महानंद से गोसाईपुर (3) बगही से पारसपुर मुसहरी पथ का पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दिया गया है एवं निविदा की कार्रवाई की प्रक्रिया में है।

सड़क का निर्माण

ग्राम्य–18. श्री नन्द कुमार राय––क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत मोतीपुर प्रखंड के मोरसण्डी पंचायत के एन0एच0पी0सी0 सड़क मोरसण्डी से अदलपुर तक विगत 10 वर्षों से जर्जर होने के कारण आम लोगों को आवागमन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री––वस्तुस्थिति यह है कि इस पथ की लम्बाई 1.70 कि0मी0 है जो कच्ची है इसके निर्माण में लगभग 150 लाख (एक करोड़ पचास लाख) रु0 व्यय अनुमानित है। यह पथ स्टेट कोर नेटवर्क के CNCPL (Comprehensive New Connectivity Priority List) के क्रमांक–21 पर अंकित है। क्रमानुसार पथ का निर्माण कार्य कराया जा सकेगा।

सड़क का पुनर्निर्माण

ग्राम्य–19. श्री नन्द कुमार राय––क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत मोतीपुर प्रखंड के मोतीपुर पुरानी बाजार पेट्रोल पम्प से झिगहा चौक होते हुये पहाड़चक तक सड़क विगत 10 वर्षों से जर्जर है जिससे आम नागरिकों को आवागमन में कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त सड़क का पुनर्निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री––वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ राज्य अनुरक्षण नीति के तहत श्रेणी–1 के क्रमांक–4 में सम्मिलित है। निधि की उपलब्धता एवं प्राथमिकता क्रमानुसार पथ का मरम्मती कार्य कराया जायेगा।

सड़क का पक्कीकरण

ग्राम्य–21. श्री नन्द कुमार राय––क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत पारू प्रखंड के चोचाही बाजार से सरैया होते हुये चैनपुरा पीच रोड तक एवं चान्दपुरा पीच रोड से नरवारा पीच रोड तक सड़क कच्ची है, यदि हाँ, तो क्य सरकार उक्त सड़क का पक्कीकरण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री––वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्न दो पथों से संबंधित है––

(1) चोचाही बाजार से सरैया होते हुये चैनपुरा पीच रोड तक पथ––इस पथ की लम्बाई 6.0 कि0मी0 है जो राज्य कोर नेटवर्क के सी0एन0सी0पी0एल0 के क्रमांक–12 पर अंकित है। पथ का सर्वेक्षण कार्य मुख्यमंत्री एम0एम0जी0एस0वाई0 (ब्रिक्स सम्पोषित योजना) से कराया जा चुका है। डी0पी0आर0 तैयार किया जा रहा है।

(2) चान्दपुरा पीच रोड से नरवारा पीच रोड तक पथ––इस पथ की लम्बाई 3.5 कि0मी0 है जो कच्ची है। इस पथ पर पड़ने वाले दोनों बसावट चान्दपुरा एवं नरवारा को पथ निर्माण विभाग के पथ से सम्पर्कता प्राप्त होने के कारण इसे किसी भी कोर नेटवर्क में सम्मिलित नहीं किया गया है। इस पथ के निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

पथ की मरम्मती

ग्राम्य–75. मो० नेमातुल्लाह—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत मांझा प्रखंड के शाहपुर (गोपालगंज) बडहरिया रोड से निकल कर मांझा प्रखंड तक जाने वाली सड़क जर्जर है जिससे आम जनता को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पथ की मरम्मती कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ में तीन पथांश है जिनकी कुल लम्बाई 7.0 कि०मी० है।

(1) शाहपुर से बैकुण्ठपुर—इस पथ की कुल लम्बाई 2.30 कि०मी० है जो ब्रीक सोलिंग है। इसके निर्माण में लगभग 170 लाख (एक करोड़ सत्तर लाख) रु० व्यय अनुमानित है। इस पथ का सर्वेक्षण कार्य एम०एम०जी०एस०वाई० (वर्ल्ड बैंक सम्पोषित) के तहत किया गया है।

(2) बैकुण्ठपुर से आलापुर—इस पथ की कुल लम्बाई 3.70 कि०मी० है जो कालीकृत एवं खराब है। पथ की मरम्मती में लगभग 125 लाख (एक करोड़ पच्चीस लाख) रु० व्यय अनुमानित है। सम्प्रति विभाग द्वारा श्रेणी–1 के अन्तर्गत आने वाली पथों का मरम्मती कार्य कराया जा रहा है। अभी पथ के मरम्मती का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) आलापुर से मॉझा—इस पथ की लम्बाई 1.0 कि०मी० है जो पी०डब्लू०डी० का पथ है। पथ की स्थिति अच्छी है।

कार्रवाई करना

ग्राम्य–121. श्री प्रमोद कुमार—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के मोतिहारी प्रखंड अन्तर्गत कुँवारी देवी चौक से सुरहाँ–लोकनाथपुर पथ, पीपरा कोठी प्रखंड के झखरा मुशहरी टोला से सिरसा चौक, एन०एच० 28 पीपरा कोठी शिव मंदिर से पंडितपुर भाया बाड़ागाछी, मठगोपाल चौक पथ वर्ष 2009–10 से ही प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन है जिसकी निर्माण पूर्ण कराते हुये अबतक निर्माण नहीं कराने वाले संवेदक एवं अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ तीन पथों से संबंधित है।

(1) मोतीहारी प्रखंड अन्तर्गत कुँवारी देवी चौक से सुरहाँ–लोकनाथपुर पथ—इस पथ की कुल लम्बाई 5.18 कि०मी० है तथा इसका पैकेज संख्या बी०आर० 11 आर० 150 है। पथ की एकरारित राशि 262.76 लाख रु० है। कार्य प्रारंभ की तिथि 14 सितम्बर, 2009 है तथा समाप्ति की तिथि 13 सितम्बर, 2010 है। इसके संवेदक दी एवरेस्ट कन्स० है। इस पथ में 218.85 लाख का कार्य कराया जा चुका है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत निधि की उपलब्धता की कमी रहने के कारण कार्य पूरा करने में विलम्ब हुआ। अप्रील, 2016 तक कार्य पूर्ण करने के लिये संवेदक से शपथ–पत्र की माँग की गयी है।

(2) पिपरा कोठी प्रखंड के झखरा–मुशहरी टोला पथ—इस पथ की कुल लम्बाई 7.227 कि०मी० है तथा इसका पैकेज संख्या बी०आर० 11 आर० 157 है। पथ की एकरारित राशि 346.42 लाख रु० है। कार्य प्रारंभ की तिथि 5 अगस्त, 2010 है तथा समाप्ति की तिथि 4 अगस्त, 2011 है। इसके संवेदक शिवा स्वाति कन्स० है। इस पथ में 229.21 लाख रु० का कार्य कराया जा चुका है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत निधि की उपलब्धता की कमी रहने के कारण कार्य पूरा करने में विलम्ब हुआ। मई, 2016 तक कार्य पूर्ण करने के लिये संवेदक से शपथ–पत्र की माँग की गयी है।

(3) एन0एच0 28 से पिपरा कोठी शिव मंदिर से पंडित जी भाया बाड़ागाछी मठ गोपाल चौक तक पथ—इस पथ की कुल लम्बाई 8.63 कि0मी0 है तथा इसका पैकेज संख्या बी0आर0 11 आर0 97 है। पथ की एकरारित राशि 449.99 लाख रु0 है। कार्य प्रारंभ की तिथि 16 जनवरी, 2010 है तथा समाप्ति की तिथि 15 जनवरी, 2011 है। इसके संवेदक मे0 लाल कन्स0 है। इस पथ में 318.67 लाख रु0 का कार्य कराया जा चुका है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत निधि की उपलब्धता की कमी रहने के कारण कार्य पूरा करने में विलम्ब हुआ। मार्च, 2016 तक कार्य पूर्ण करने के लिये संवेदक से शपथ-पत्र की माँग की गयी है।

पुल का निर्माण

ग्राम्य–307. श्रीमती प्रेमा चौधरी—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला के पातेपुर प्रखंडान्तर्गत नून नदी के ओमदपुर घाट पर पुल नहीं रहने के कारण नदी के दोनों किनारे निवास करने वाले 30,000 (तीस हजार) ग्रामीणों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर पुल निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन स्थल के अप स्ट्रीम 2.5 कि0मी0 एवं डाउन स्ट्रीम 3.0 कि0मी0 पर पुल निर्मित है। अतः वर्णित स्थल पर पुल निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

पुल का निर्माण

ग्राम्य–308. श्रीमती प्रेमा चौधरी—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला के पातेपुर प्रखंडान्तर्गत नून नदी में लेबढ़त घाट पर पुल नहीं रहने के कारण नदी के दोनों ओर के करीब 50 हजार की आबादी को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर पुल निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन स्थल के अप स्ट्रीम 1.0 कि0मी0 एवं डाउन स्ट्रीम 1.5 कि0मी0 पर पुल निर्मित है। अतः वर्णित स्थल पर पुल निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

नया भवन का निर्माण

सामु–3. श्री प्रहलाद यादव—क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि लखीसराय जिला के लखीसराय प्रखंड का भवन पुराना एवं जर्जर है, यदि हाँ, तो क्या सरकार लखीसराय प्रखंड का नया भवन बनवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—उत्तर स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि चरणबद्ध ढंग से सभी नवसृजित एवं पुराने वैसे प्रखंड जिनके कार्यालय भवन जो जीर्ण–शीर्ण हो चुके हैं एवं नये भवन के निर्माण की आवश्यकता है उनके कार्यालय एवं आवासीय भवन तथा परिसर विकास नयी तकनीक के आधार पर निर्माण कार्य कराये जाने हेतु राज्य सरकार कृतसंकल्पित है।

चूँकि वर्तमान में लखीसराय प्रखंड निर्माण हेतु भूमि का निर्धारित न्यूनतम रकबा उपलब्ध नहीं है इसलिये भवन निर्माण का कार्य नहीं लिया जा सकता है। भवन निर्माण हेतु आवश्यक न्यूनतम रकबा उपलब्ध कराने हेतु जिला पदाधिकारी, लखीसराय से अनुरोध किया गया है।

छिलका पुल का निर्माण

पथ–27. श्री प्रह्लाद यादव—क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि लखीसराय जिला के रेलवे मैदान के पास किउल नदी में धोबी घाट से लखीसराय जिला मुख्यालय जाने में नदी में पानी रहने के कारण लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त नदी के धोबी घाट के नजदीक छिलका पुल बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—प्रश्नाधीन छिलका से संबंधित नदी पथ निर्माण विभाग के पथ पर नहीं है। इस छिलका के निर्माण की कोई योजना विचाराधीन नहीं है। इस प्रकार के छिलका/पुल के निर्माण हेतु मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजनान्तर्गत चयन करने के लिये जिला स्तर पर संचालन समिति गठित है। माननीय सदस्य भी उक्त समिति में हैं। इस समिति द्वारा आवश्यकतानुसार मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना के अन्तर्गत पुलों का चयन किया जाता है। प्रश्नाधीन छिलका का चयन जिला संचालन समिति द्वारा करने के बाद निर्माण पर विचार किया जायेगा।

अधिग्रहण कर निर्माण

पथ–65. श्री प्रह्लाद यादव—क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि लखीसराय जिला के किउल रेलवे स्टेशन से ग्रामीण सड़क जमुई जिला के सीमा तक बना हुआ है जो जर्जर है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त सड़क लखीसराय एवं जमुई जिला को जोड़ती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त ग्रामीण सड़क को पी0डब्लू0डी0 में अधिग्रहण कर निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) लखीसराय जिला के किउल रेलवे स्टेशन से जमुई जिला के सीमा तक जाने वाली पथ (किउल–कुन्दर–जमुई) की कुल लम्बाई लगभग 35 कि0मी0 है। पथ प्रमंडल, लखीसराय के अधीनस्थ पथांश किउल रेलवे स्टेशन से धनवी तक की लम्बाई लगभग 12 कि0मी0 एवं गोपालपुर (जितेन्द्र हाल्ट) से कुन्दर तक की लम्बाई लगभग 6 कि0मी0 कुल लम्बाई लगभग 18 कि0मी0 है जिसमें SBD (Standard Bidding Document) के तहत कार्य कराया गया है जिसकी स्थिति अच्छी है। शेष पथांश धनवी से गोपालपुर की लम्बाई लगभग 10 कि0मी0 है तथा जमुई जिलान्तर्गत कुन्दर से जमुई की लम्बाई लगभग 7 कि0मी0 है। इस प्रकार शेष पथांश की कुल लम्बाई 17 कि0मी0 ग्रामीण कार्य विभाग के स्वामित्व में है जिसके अधिग्रहण की कार्रवाई की जा रही है।

पुल का निर्माण

ग्राम्य–134. श्री प्रमुनाथ प्रसाद—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत अगियाँव प्रखंड के हरपुर, बनास नदी में पुल नहीं रहने के कारण ग्रामीणों को जिला मुख्यालय आने–जाने में कठिनाई होती है ;

(2) यदि हाँ, तो क्या सरकार हरपुर, बनास नदी में पुल का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) आंशिक स्वीकारात्मक।

(2) वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पुल स्थल के अप स्ट्रीम में 2.0 कि0मी0 पर तथा डाउन स्ट्रीम में 3.0 कि0मी0 पर पुल अवस्थित है। इस पुल स्थल के दोनों तरफ ग्रामीण कार्य विभाग की कोई सड़क निर्मित नहीं है और उक्त स्थल के पास हरपुर ग्राम के तरफ रैयती जमीन है।

हरपुर ग्राम को मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजनान्तर्गत निर्मित कुरमुरी–सोनवर्षा पथ जिसकी लम्बाई 4.70 कि0मी0 है, से एकल सम्पर्कता प्रदान कर दी गई है।

वर्तमान में प्रश्नाधीन पुल के निर्माण की कोई योजना सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

पुल का निर्माण

ग्राम्य–136. श्री प्रमुनाथ प्रसाद—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत अगियाँव प्रखंड के विसंभरपुर, तेतरिया गाँव के सामने बनास नदी में पुल नहीं रहने के कारण आमजनों को जिला मुख्यालय जाने में कठिनाई होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त नदी में पुल नहीं रहने के कारण अगियाँव और चरपोखरी के ग्रामीणों को आवागमन में कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार विसंभरपुर, तेतरिया गाँव के सामने बनास नदी में पुल का निर्माण कर आवागमन सुगम कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) अस्वीकारात्मक।

(2) अस्वीकारात्मक।

(3) वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पुल स्थल के एक तरफ विसम्भरपुर, तेतरिया ग्राम है जिसे पक्की सड़क से एकल सम्पर्कता प्रदान की हुई है। पुल स्थल के दूसरी तरफ चरपोखरी ग्राम है जिसे पक्की सड़क से एकल सम्पर्कता प्राप्त है। उक्त पुल स्थल किसी कोर नेटवर्क में शामिल नहीं है।

इस पुल के निर्माण की कोई योजना सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

पथ का पक्कीकरण

पथ–29. श्री प्रमुनाथ प्रसाद—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत गड़हनी प्रखंड के गड़हनी से नोवाडीह मोड़ तक पथ काफी जर्जर है जिसके चलते आवागमन प्रभावित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त सड़क जीर्ण–शीर्ण रहने के कारण आये दिन दुर्घटनाएँ घटती रहती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जनहित में गड़हनी से नोवाडी मोड़ तक पथ का पक्कीकरण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) आंशिक स्वीकारात्मक।

(2) विभाग को ऐसी सूचना नहीं है।

(3) वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ की लम्बाई 20.00 कि०मी० है जो अनुरक्षण नीति के तहत श्रेणी–1 में वित्तीय वर्ष 2014–15 की सूची में सम्मिलित है।.

प्राथमिकता क्रमानुसार एवं संसाधन की उपलब्धता के अनुसार पथ का निर्माण किया जा सकेगा।

पथ का निर्माण

पथ–30. श्री प्रमुनाथ प्रसाद—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत अगियाँव प्रखंड के नारायणपुर से नोनडर पथ विगत पाँच वर्षों से जर्जर है ;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्षात के दिनों में उक्त सड़क पर पानी लग जाता है जिससे ग्रामीणों को आने–जाने में काफी कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नारायणपुर से नोनडर पथ का निर्माण कराकर आवागमन बहाल करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) आंशिक स्वीकारात्मक।

(2) आंशिक स्वीकारात्मक।

(3) वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ की लम्बाई 10.50 कि०मी० है जिसका निर्माण वर्ष 2006–07 में कराया गया था। यह पथ अनुरक्षण नीति के तहत श्रेणी–1 पथों की सूची वर्ष 2014–15 में शामिल है।

प्राथमिकता क्रमानुसार एवं संसाधन की उपलब्धता के अनुसार पथ का निर्माण किया जा सकेगा।

बि०स०मु० (एल०ए०), 13–डी०टी०पी०–400